लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

मैनुअल–1

लोक निर्माण विभाग का ब्योरा, कृत्य और कर्तव्य

Manual-1

Particulars of Organization, Functions and Duties

लोक निर्माण विभाग

1. वर्ष 1844 के करीब लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। यह वो समय था जब बड़ी–बड़ी निर्माण परियोजनायें जैसे कि प्रमुख बड़ी–बड़ी सड़कों का निर्माण, प्रमुख केद्रों में बड़े–बड़े भवनों का निर्माण, गंग नहर का निर्माण, पूर्व में बनाई गई नहरों का सुधार एवं मरम्मत इत्यादि चल रहीं थीं। इन बड़ी–बडी परियोजनाओं के निर्माण तथा नियंत्रण हेतु बहुत ज्यादा कुशल सिविल इंजिनियरों की जरूरत हुई। इस जरूरत को पूरा करने के लिये सन् 1847 में रूड़की में एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलिज की स्थापना की गई की गई जो बाद में क्रमशः थामसन कॉलिज ऑफ सिविल इंजिनियरिंग, थामसन कॉलिज ऑफ इंजिनियरिंग, रूड़की विश्वविद्यालय तथा वर्तमान समय में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान रूड़की(इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी रूड़की) के नाम से प्रख्यात हुआ। उस समय यह कॉलिज लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था।

2. लोक निर्माण विभाग ने सन् 1854 से सही प्रकार से कार्य करना प्रारंभ किया। इस समय विभाग के मुख्य अभियंता शासन के सचिव के दायित्वों का निर्वहन भी करते थे। शनैःशनैः वित्तिय संसाधनों को केन्द्र सरकार से प्रान्तों को विकेन्द्रीकृित किये जाने का असर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी पड़ा। सन् 1872 में कार्यों को स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने की नीति थी। सभी इंजिनियरिंग कार्य चाहे वे स्थानीय निधि से पोषित हो या राज्यों की निधि से पोषित हों, लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण तथा निरीक्षण में ही कराये जाते थे। लोक निर्माण विभाग सहित जिले मे कार्यरत सभी विभागों का सामान्य नियंत्रण जिला कलैक्टर के अधीन था। हर डिविजन के कमिश्नर के अधीन एक अधिशासी अभियंता कार्यरत होता था जिसके पास ड़िविजन में चल रहे सभी कार्यों का कार्यभार होता था तथा जो इन कार्यों हेतु कमिश्नर के सचिव के दायित्वों का निर्वहन भी करता था। सन् 1881 में लोक निर्माण विभाग को स्थानीय जिम्मेदारियों की नई स्थिति के अनुसार पुर्नगठित करने के कदम उठाये गये। मुख्य बदलाव यह था कि प्रान्तीय स्तर के कार्य ही लोक निर्माण विभाग के अधीन रहे, बाकी सभी कार्य जिला बोर्ड़ को सौंप दिये गये। लोक निर्माण विभाग की ड़िविजनों को पुर्नगठित किया गया तथा जिला कलैक्टर के लोक निर्माण विभाग के स्टॉफ पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। रोहिल खंड ड़िवीजन में कुछ वर्षों तक इस प्रयोग को कर के पाया गया कि यद्यपि इससे विभागीय प्रशासनिक कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन अन्य सभी परिणाम बहुत ही सन्तोषजनक पाये गये। अन्ततः सन् 1887 में इसे लागू कर दिया गया। सन् 1888 मे लोक निर्माण विभाग को स्थाई विभाग बना दिया गया। सन् 1894 में थॉमसन कॉलिज ऑफ सिविल इंजिनिरिंग रूड़की का प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। इसके काफी बाद सन् 1945 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण दोबारा लोक निर्माण विभाग सचिवालय के अन्तर्गत कर दिया गया। इसका स्तर बढ़ा कर जब रूड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया तब 1952 में इसे ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया क्योंकि उस समय इंजिनिरिंग शिक्षा ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत थी। 8 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर उत्तराखण्ड राज्य बन जाने के कारण रूड़की विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड सरकार के अधीन हो गया। इसके कुछ ही समय बाद ———रूड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान रूड़की बना दिया गया। इस प्रकार यह संस्थान भारत सरकार के अधीन हो गया।

3. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत किये गये 'सुधारो' का लोक निर्माण विभाग पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लोक निर्माण विभाग 'हस्तांतरित' प्रान्तीय विषय की सूची में आ गया जबकि सिंचाई विभाग केन्द्र की सूची में ही रहा। इससे लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के नियंत्रण में आ गया। सन् 1922 में लोक निर्माण पुर्नगठन समिति गठित की गई जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग के संगठन में जरूरी बदलाव सुझाना था, जिससे की यह विभाग इस नये

संविधान के अनुरूप ढ़ल सके। इस समिति ने मुख्यतः भारत सरकार के मार्च 1921 के प्रस्ताव का अनुसरण करके लोक निर्माण विभाग के दायित्व मात्र उन कार्यों के निर्माण तक सीमित रखने की संस्तुति की, जो प्राइवेट फर्मों एवं स्थानीय निकायों द्वारा संतोषजनक ढ़ंग से न किये जा सकें। इस समिति की संस्तुति के अनुसार विभाग को मात्र निरीक्षात्मक एवं सलाहकार संस्था के रूप में रखा जाना चाहिये। विभाग के आकार में काफी कमी सुझाई गयी लेकिन यह आंशिक रूप से ही प्रभावी हो पाया क्योंकि विकेन्द्रीकरण को संस्तुति के स्तर तक लागू नहीं किया गया। सरकार ने सन् 1925–26 में प्रान्तीय मार्ग जो कि विभिन्न प्रान्तों के बीच यातायात की मुख्य कड़ी थे, को छोड़ कर अन्य सभी स्थानीय सड़कें स्थानीय निकायों को सौंप दीं। केन्द्र के भवनों का रखरखाव उन्हीं विभागों को सौंप दिया, जिन विभागों के वे भवन थे। प्रान्तीय सरकारों के अधीन विभागों को रू0 20000 तक के लघु कार्यों को करने के अधिकार दे दिये गये। 'सुधारों' के प्रभाव से लोक निर्माण विभाग की भवन व मार्ग शाखा एवं सिंचाई शाखा के उच्च पदो ंके संयुक्त कैड़र का पृथकीकरण हो गया क्योंकि भवन व मार्ग शाखा प्रान्तों को 'हस्तांतरित' विषय की सूची में आ गयी जबकि सिंचाई शाखा केन्द्र की 'आरक्षित' विषय सूची में ही रही। सन् 1924 से भारतीय इजिनियर्स सेवा के द्वारा इस विभाग में भर्ती बंद हो गई। धीरे–धीरे भारतीय इंजिनियर्स सेवा का संवर्ग घटता गया और प्रान्तीय इंजिनियरिंग सेवा का संवर्ग बढ़ता गया। मई 1927 में सचिव सह मुख्य अभियन्ता के पद का दो भागों में पृथकीकरण कर दिया गया। सन् 1927 में जन स्वास्थय इंजिनियरिंग का प्रशासनिक नियंत्रण लोक निर्माण विभाग से हटाकर नगर पालिका के अधीन कर दिया गया। बाद में इस विभाग को लोकल सैल्फ गर्वनमैन्ट इंजिनियरिंग ड़िपार्टमैन्ट का नाम दिया गया।

4. यद्यपि सन् 1927 में सचिव सह मुख्य अभियन्ता के पद का पृथकीकरण दो अलग पदों में कर दिया गया था, फिर भी भवन व मार्ग शाखा का सचिवालय मार्च 1931 तक मुख्य अभियन्ता कार्यालय का भाग ही रहा। मार्च 1931 में इसे विभाजित कर दिया गया। सन् 1937 में प्रान्तीय स्वायत्तता की प्रस्तावना के पश्चात् सिंचाई शाखा में इसी प्रकार सचिव सह मुख्य अभियन्ता के पदों का विभाजन सन् 1938 में कर दिया गया। भवन व मार्ग शाखा एवं सिंचाई शाखा के सचिवालयों को जोड़ कर लोक निर्माण सचिवालय सन्1938 में बनाया गया जो शासन के एक 'Generalist' सचिव के अधीन रखा गया। भवन व मार्ग शाखा में बिजली के इन्स्पैक्टर का संस्थान सम्मिलित था। सिंचाई शाखा में हाईड्रोइलैक्ट्रिक विंग सम्मिलित था। बाद में विभाग की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के साथ विभाग के पुर्नगठन की आवश्यकता पड़ी। विद्युत से संबंधित कार्य सन्1950 में लोक निर्माण विभाग से पृथक कर ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिये गये। ऊर्जा विभाग लोक निर्माण सचिवालय के अधीन ही रखा गया। ऊर्जा विभाग प्रशासनिक विभाग था जिसके अधीन विद्युत विभाग सृजित किया गया, जो मुख्य अभियंता के अधीन रखा गया। सन् 1952 में लोक निर्माण सचिवालय को दो हिस्सों में विभाजित किया गया। इस प्रकार भवन व मार्ग शाखा का सचिवालय अलग तथा सिंचाई शाखा का सचिवालय अलग हो गया। इस प्रकार सचिव लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा) तथा सचिव लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) के दो अलग अलग पद तथा सचिवालय सृजित हो गये। सिंचाई शाखा के सचिव ऊर्जा विभाग के सचिव भी थे। विद्युत इंस्पैक्टर के संगठन का नियंत्रण भी भवन व मार्ग शाखा से हटाकर ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया। दो वर्ष पश्चात् सन् 1954 में विभागों के नाम बदल दिये गये। सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा) का नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग कर दिया गया तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) का नाम सिंचाई विभाग कर दिया गया। इसी वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों में विद्युतीकरण के कार्य को विद्युत इन्स्पैक्टर के संगठन से हटा कर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के अधीन कर दिया गया। विद्युत नियमों के अन्तर्गत वैधानिक दायित्वों को निभाने हेतु विद्युत इंस्पैक्टर के संगठन को ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया।

5. सन् 1931 से कुछ वर्षों तक लोक निर्माण विभाग का ह्रास हुआ। राजपुताना लोक निर्माण विभाग जो इस समय तक इस विभाग के संवर्ग से जुड़ा था जनवरी 1933 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में कर दिया गया। इससे विभाग के संवर्ग की संख्या में बहुत कमी हुई, यह कमी 1939 में चरमसीमा पर थी

उस समय भारतीय इंजिनियर्स सेवा के संवर्ग की संख्या घट कर मात्र 12 रह गयी थी तथा उत्तर प्रदेश इंजिनियरिंग सेवा के संवर्ग की संख्या घट कर मात्र 25 रह गयी थी। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने से सैनिक जरूरतों हेतु हवाई अड्डों एवं अन्य इंजिनियरिंग कार्यों के निर्माण की आवश्यकता होने से दिशा बदल गई। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर युद्ध के पश्चात् के मार्ग प्रोग्राम व सैनिकों के पुनर्वास हेतु बड़े निर्माण कार्य हाथ में लिये गये। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् सन् 1952 में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई जिसमें पूरे देश को सड़कों से जोड़ने पर बल दिया गया। स्थानीय निकायों की बहुत सारी सड़कें सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई। सरकार के विभिन्न विभागों हेतु भवनों के निर्माण का कार्य भी लोक निर्माण विभाग को दिया गया।

6. सन् 1943 के नागपुर सड़क सम्मेलन में देश में सड़कों के विकास हेतु 'स्टार व ग्रिड फार्मुला' तय किया गया। विकसित कृषि क्षेत्र में हर गॉव को मुख्य सड़क से अधिकतम् पॉच मील की दूरी के अन्तर्गत तथा अविकसित क्षेत्र में हर गॉव को मुख्य सड़क से अधिकतम् 20 मील की दूरी के अन्तर्गत लाने की योजना इस सम्मेलन में तय की गई। इस फार्मुले के अनुसार उत्तर प्रदेश में पक्की सड़को की लम्बाई 16553 मील आई। इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त करने की उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश से सन् 1947 में पक्की सड़कों की लम्बाई 9387 मील थी जो सन् 1966 में बढकर 16600 मील हो गई इसमें उत्तराखंड की सड़के सम्मिलित नहीं थी। नागपुर सम्मेलन के पश्चात् हुये राजनीतिक एवं आर्थिक, बदलावों, कृषि एवं औद्योगिक विकास के कारण यह आवश्यक माना गया कि सड़कों के जाल में नागपुर सम्मेलन में तय किये गये फार्मुले से दो गुना वृद्धि करनी होगी। इसके लिये सन् 1958 में बम्बई (आज की मुम्बई) रोड़ सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सभी राज्यों के मुख्य अभियंताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पूरे देश मे सड़को के निर्माण हेतु बीस वर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मार्ग निर्माण हेतु नया फार्मुला तैयार किया गया। इस फार्मुले के अनुसार उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड को छोडकर सन् 1981 में पक्की सड़कों की लम्बाई 29200 मील प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस फार्मुले के अनुसार विकसित एवं कृषि क्षेत्र में हर गॉव की पक्की सड़क से दूरी अधिकतम 4 मील व किसी भी प्रकार की सड़क से दूरी अधिकतम 1.5 मील प्राप्त करने का लक्ष्य था। अर्धविकसित क्षेत्र में ये दूरी क्रमशः 8 मील एवं 3मील प्राप्त करने का लक्ष्य था। अविकसित एवं कृषि विहीन क्षेत्र में ये दूरियॉ क्रमशः 12 मील एवं 5 मील प्राप्त करने का लक्ष्य था। लोक निर्माण विभाग ने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत योजनायें स्वीकृत कराकर इस लक्ष्य तक पहुॅचने का प्रोग्राम तैयार किया। सन् 1960 में उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कई योजनायें शुरू की गई। प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के अलावा, अन्य प्रकार की सड़कों का निर्माण, सम्पर्क मार्गों का निर्माण, सेतुओं का निर्माण, विभिन्न स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण कार्य विशेषकर लखनऊ, बनारस, मथुरा, गोरखपुर, बुलन्दशहर, पीलीभीत, सहारनपुर और बलरामपुर के कार्य भी विभाग ने किये। भारत सरकार के केन्द्रीय सडक निधि के कार्य, तराई क्षेत्र की लेटरल मार्ग परियोजना (बरेली से बटिहा मार्ग) के निर्माण कार्य भी विभाग ने 1964 में शुरू किये। कम्युनिटि ड़वैलैपमैन्ट विभाग के पूरब के चार जिलों के गहन विकास के कार्य रूरल मैन पावर स्कीम के तहत विभाग ने किये। चीनी मिल क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण एवं सीमेंट कंक्रीट पथों के निर्माण का कार्य भी विभाग ने किया जिसमें चीनी मिलों ने भी कुछ धन दिया था।

8. मुख्य तकनीकी परीक्षक के अधीन टैक्नीकल ऑड़िट सैल स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय राजधानी में रखा गया, अधीक्षण अभियंता या इससे ऊँचे पद के उच्च अधिकारी मुख्य तकनीकी परीक्षक बनाये जाते थे, जो सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कार्य करते थे। टैक्नीकल ऑड़िट सैल की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को भारत सरकार या दूसरे इंजिनियरिंग विभागों से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाता था।

सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन एकाउन्ट ऑडिट सैल भी स्थापित किया गया था। यह सैल लेखाधिकारी के अधीन रखा गया। ऑडिट निरीक्षणों को त्वरित गति देना तथा खंड़ीय अधिकारी को एकाउन्टस् के सम्बन्ध में सलाह देना इस सैल के दायित्व थे। इसे अप्रैल 1968 में खत्म कर दिया गया।

9. प्रान्तों में चार बड़ें इंजिनियरिंग विभाग लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा व लोकल सैल्फ गर्वनमैंट इंजिनियरिंग ड़िपार्टमैंट थे। इन विभागों की इंजिनियरिंग सेवा के नियम काफी समय तक अधूरे तथा 'imprecise' रहे। इन नियमों को पूरा, सही और इनमें एक रूपता लाने की आवश्यकता हुई। इस हेतु राज्य सरकार ने जून 1966 में श्री जे. ड़ी. शुक्ल आई0सी0एस0 सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में राज्य इंजिनियरिंग सेवा तार्किकरण (Rationalization) समिति गठित की। मुख्य अभियंता लोकल सैल्फ गर्वनमैंट इंजिनियरिंग विभाग इस समिति के सचिव थे। इस समिति ने मई 1969 में अपनी आख्या शासन को प्रेषित की। सहायक अभियंताओं की Ad-hoc नियुक्ति बंद करके हर वर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करना इस समिति की एक महत्वपूर्ण संस्तुति थी। अन्य महत्वपुर्ण संस्तुतियॉ थी; (1) सीधी भर्ती से स्थाई पदों को भरने की प्रक्रिया को बंद करना, सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा सिर्फ अस्थाई पदों को भरना तथा बारी आने पर अधिकारियों को स्थाई करना, (2) अधीनस्थ इंजिनियरिंग सेवा एवं संगणकों से पदोन्नति करके सहायक अभियंता पद की **25%** रिक्तियों को भरना (3) सहायक अभियंता पद से अधिशासी अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश इंजिनियरिंग सेवा में पॉच वर्ष का अनुभव (4) सहायक अभियंता पद से अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नति अयोग्य को छोड़कर ज्येष्ठता के सिद्धांत पर करना (5) सभी पदोन्नतियॉ तथा स्थाईकरण सक्षम विभागीय चयन समिति द्वारा हर वर्ष **regularly** करना (6) पहले चयन को सबसे अधिक महत्व देना–दूसरे शब्दों में जब किसी अधिकारी का कार्यवाहिक तौर पर चयन किया जाय तो मंशा उसे स्थाई पद पर चयन करने की होनी चाहिये जिससे स्थाईकरण के समय इस स्थिति को छोड़कर जब उसके खिलाफ ऐसा कुछ हो जिससे उसका स्थाईकरण न किया जाना न्यायोचित हो वह सामान्यतः चयनित हो जायें। (7) उसी पद के अधिकारियों में पहले चयनित व पदोन्नत अधिकारी बाद में चयनित पदोन्नत अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगें, लेकिन एक ही समय मेंचयनित व पदोन्नत अधिकारियों की ज्येष्ठता वही रहेगी जो नीचे के पद पर थी। (8) अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थाई अधिशासी अभियंता होना तथा उत्तर प्रदेश इंजिनियरिंग सेवा में 15 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक। (9) अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति सख्ती से मैरिट के आधार पर । (10) अधीक्षण अभियंता से ऊपर के पद पर प्रोन्नति सख्ती से मैरिट के आधार पर। (11) इन इंजिनियरिंग विभागों के विभागाध्यक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु अधिकारी के अनुभव की प्रकृति व मात्रा पर पूरा विचार करना। इंजिनियरिंग विभाग की तकनीकि एवं प्रशासनिक मांग के अनुरूप अधिकारी का अनुभव होना आवश्यक।

10. 2 नवंबर 1964 को विभाग में प्रमुख अभियंता का पद सृजित किया गया । प्रमुख अभियंता का कार्य तथा दायित्व उस समय उनके अधीन कार्यरत मुख्य अभियंता तथा दो अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं की गतिविधियों को नियंत्रित तथा एकीकृत करना था। लेटरल सड़क परियोजना, तराई सड़क परियोजना, पूर्वी जिलों का सघन विकास, इंजिनियरिंग शोध व इसका कार्यान्वयन सीधे प्रमुख अभियंता के अधीन थे । 18 जुलाई 1967 को यह पद खत्म कर दिया गया । नवम्बर 1979 में प्रमुख अभियन्ता के पद को दोबारा सृजित किया गया।

13. लोक निर्माण विभाग की प्रशासनिक इकाई वृत्त कार्यालय है । वृत्त कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्य करता है । अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता के अधीन अपने प्रशासनिक एवं सामान्य व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करते है । अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करते हैं, कि उनके अधीन खण्ड सुचारू व सही प्रकार से कार्य करते रहें । अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करते हैं, कि कार्यों का निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप हो, तथा उनका लेखा सही प्रकार रखा जाए । अधीक्षण अभियंता को ज्यादा से ज्यादा समय निर्माण कार्यो के निरीक्षण में देना चाहिये । खण्डीय एवं उपखण्डीय कार्यालयों के निरीक्षण को भी उचित समय देना चाहिये जिससे कि ये प्रभावी प्रकार से कार्य करते रहें ।

सही डिजाईन तथा उचित दरों पर बल देते हुये आगणनों की जांच करके मुख्य अभियंता को प्रेषित करने की अधीक्षण अभियंता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है । वृत्त के अधीन कार्यरत खण्डों में कार्यो का समन्वय, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य सिविल व मिलिट्री विभागों में तालमेल करना अधीक्षण अभियंता की अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ।

14. लोक निर्माण की कार्यकारी इकाई खंडीय कार्यालय होता है । अधिशासी अभियंता के अधीन यह कार्यालय कार्य करता है । अधिशासी अभियंता खंड के सभी कार्यो के सही प्रकार से निष्पादन तथा सही प्रकार से लेखा रखने के लिये अधीक्षण अभियंता के प्रति जिम्मेदार होते है । कुछ अकार्यकारी खंड भी होते है, जो सर्वे,शोध, डिजाईन इत्यादि का कार्य करते है, जैसे कि सेतु डिजाईन एवं सर्वे खंड,भवन व मार्ग सर्वे खंड, भवन डिजाईन खंड इत्यादि । ये अकार्यकारी खंड भी अधिशासी अभियंता के अधीन होते है ।

लोक निर्माण विभाग मे खंडो के नाम प्रायः प्रान्तीय खंड,निर्माण खंड,अस्थाई खंड,सेतु निर्माण खंड, भवन खंड, मार्ग सर्वे खंड इत्यादि होते है । प्रान्तीय खंड सड़कों एवं भवनों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य करते है। ये खंड स्थाई होते है । कुछ भवन खंड, सेतु खंड, सेतु डिजाईन खंड, सर्वे खंड और शोध खंड भी स्थाई खंड होते है । बाकी खंड विशेष निर्माण कार्यो हेतु सृजित किये जाते है, जो अस्थाई होते है । इन खंडो द्वारा निर्मित कार्यो को पूर्ण होने पर अनुरक्षण हेतु स्थाई खंडो को हस्तांतरित कर दिया जाता है। कार्यकारी खंड करीब रू0 4.00 करोड़ प्रतिवर्ष के निर्माण–सह–अनुरक्षण कार्यभार होने पर सृजित किये जाते है । अधिशासी अभियंता आहरण एवं वितरण अधिकारी होता है जो लेखा एवं अभिलेखों को सही प्रकार से रखता है ।

अधिशासी अभियंता इंजिनियरिंग मामलों में स्थानीय निकायों एवं सरकारी विभागों का पदेन सलाहकार होता है । नगरपालिका के जो मामले उसे संदर्भित किये गये हों उनके लिये अधिशासी अभियंता डिविजनल कमिश्नर का व्यवसायिक सलाहकार होता है । हर खंड मे महालेखाकार कार्यालय द्वारा एक लेखाकार तैनात किया जाता है । जिसका दायित्व अधिशासी अभियंता को लेखे से संबधित विषयों पर सहायता तथा सलाह देना है। लेखाकार की जिम्मेदारी वाउचरों को ऑडिट करने की भी है, जिससे कि वित्तीय नियमितता भुगतान से पूर्व सुनिश्चित हो सके । कार्यभार के अनुसार चार या अधिक सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता के अधीन कार्यरत रहते है । उनकी जिम्मेदारी यह है कि वे कार्यो का निर्माण विशिष्टियों तथा डिजाईन के अनुरूप अधिशासी अभियंता के नियंत्रण तथा मार्ग दर्शन में करायें । जो सहायक अभियंता खंड के मुख्यालय से दूर के स्थानों पर तैनात किये जाते थे उन्हें कार्यहित तथा आवश्यकता हेतु आहरण एवं वितरण अधिकार Delegate कर दिये जाते थे। इन सहायक अभियंताओं को उपखंड अधिकारी कहा जाता था। ये सही प्रकार से लेखा रखने के लिये जिम्मेदार होते थे। जो उपखंड अधिकारी जिला मुख्यालय पर तैनात हाते थे उन्हें जिला इंजिनियर के नाम से जाना जाता था ।

विद्युत एवं यांत्रिक खंड में भी इसी प्रकार इन्हीं पदों के अधिकारी होते है जो विद्युत या यांत्रिक इंजिनियरी में योग्यता रखते है। ये खंड सिविल खंडो में कार्यरत मशीनरी, यंत्र संयत्र इत्यादि की मरम्मत तथा सिविल खंडो द्वारा निर्मित किये जा रहे भवनों में विद्युतीकरण का कार्य करते है।

सहायक अभियंताओं की मदद कनिष्ठ अभियंता करते है, जो कि कार्यो के निर्माण की देखभाल तथा उनकी माप अंकित करते है। पहले अस्थाई श्रमिक कार्य की आवश्यकतानुसार रख लिये जाते थे, जिन्हें सीधे कार्य की लागत से भुगतान कर दिया जाता था। अब यह प्रथा खत्म कर दी गई है ।

15. लोक निर्माण विभाग की कुछ महत्वपूर्ण समितियां निम्नवत है ।

15.1 इंडियन रोड़ कांग्रेस– यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सहायता प्राप्त तकनीकि संगठन है, जो मार्ग तथा सेतुओं के संबध में कोड एवं जरनल प्रकाशित करता है । प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग इसकी कार्य समिति के पदेन सदस्य होते है। आई0आर0सी0 का सामान्य सम्मेलन वर्ष में एक बार विभिन्न राज्यों में

आयोजित किया जाता है। इसकी तकनीकी उपसमिति की बैठक समय–समय पर आयोजित की जाती है। संगठन इस प्रकार विभिन्न राज्यों के तकनीकि मत एवं जानकारी के आदान–प्रदान में सहायता प्रदान करता है। यह संगठन यह भी सुनिश्चित करता है कि पूरे भारतवर्ष में यातायात प्रणाली समान रूप से विकसित हो ।

15.2 विधान सभा की लोक निर्माण विभाग स्थायी समिति– लोक निर्माण मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते है तथा कुछ नामित विधायक इस समिति के सदस्य होते है । यह समिति लोक निर्माण विभाग की कार्यविधि, प्रगति तथा दिक्कतों की समीक्षा करती है। यह समिति विभाग के संबंध में सुझाव भी देती है ।

लोक निर्माण विभाग के संबध में कानून नियम विनियम व सारसंग्रह

क0सं0	कानून,नियम,सारसंग्रह इत्यादि का नाम	वर्ष	प्राधिकरण जिसने यह कानून,नियम,सारसंग्रह बनाया
	Act		
1.	Northern India Ferries Act	1878	भारत सरकार
2.	U.P Roadside Land Control Act	1945	उत्तर प्रदेश सरकार
3.	National Highways Act	1956	भारत सरकार
	Rules, Regulations and Manuals		
4.	Manual of Orders, Buildings and Roads Branch,Vols. 1 and 2	1937	उत्तर प्रदेश सरकार
5.	Detailed Specifications. Section (A)- Buildings Section (B)- Roads	–	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
6.	Maintenance Manual	–	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
7.	Well Foundations for Roads and Bridges	1960	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
8.	Hand Book of Decisions on Service Conditions of Work-charged Employees	1959	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
9.	Circulars on Buildings and Roads	1959	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
10.	Indian Road Congress code for Bridges	–	Indian Road Congress.
	Reports		
11.	P.W.D. Works Committee Report	1952	उत्तर प्रदेश सरकार
12.	P.W.D. Rates Committee Report	1953	उत्तर प्रदेश सरकार
13.	P.W.D. Reorganization committee Report	1957	उत्तर प्रदेश सरकार

प्राधिकरण के उद्देश्य :–

लोक निर्माण विभाग का मुख्य उद्देश्य जनता को सुगम एवम् सुरक्षित यातायात हेतु वित्तीय संसाधनों के अधीन गुणवत्तापूर्ण एवम् व्यवस्थित मार्ग/सेतु उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त विभाग का यह प्रयास रहता है कि वर्षभर सभी मार्ग यथासम्भव यातायात हेतु खुले रहें और किसी मार्ग के मलुवों अथवा दीवारों के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात को बन्द होने पर शीघ्रातिशीघ्र खोलने के लिये कार्यवाही की जाती है। जनता को वाहनों द्वारा यात्रा करने में असुविधा न हो, इसके लिये सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत विभाग मार्गों की सतहों को गढ्ढा रहित बनाये रखने के लिये समुचित उपाय करता रहता है तथा समय–समय पर पक्की सड़कों का नवीनीकरण/पुनर्लेपन का कार्य करवाया जाता है।

1.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :–

वर्तमान समय में किसी प्रदेश की समृद्धि का आंकलन उसकी सड़कों के विस्तार, सृदृढ़ता, राइडिंग–क्वालिटी सुधार एवं उन पर चलने वाले वाहनों की संख्या पर निर्भर करता है। सुदूरवर्त्ती ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी की नई–नई उपलब्धियों को जानने का श्रेय मार्ग–संचार के माध्यम को ही जाता है; क्योकि यह माध्यम तीव्रगामी एवं सस्ता है। उक्त मिशन की पूर्ति के साथ–साथ दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से मार्ग–निर्माण के माध्यम से जोड़ने, कच्चे मार्गों को पक्का/डामरीकृत करने, मिसिंग लिंक/मिसिंग सेतु का निर्माण करने, यातायात–वृद्धि के फलस्वरूप महत्वपूर्ण नगरों/कस्बों में बाई पास बनाने, पुराने पुलों का पुनर्निर्माण करने तथा संकरे पुलों को चौड़ा करने, विभिन्न ग्रामों को भविष्य में मार्गों द्वारा जोड़ने एवं मार्गों के ज्यामितिय एवं जंक्शन्स का सुधार करने का मिशन लोक निर्माण विभाग का है।

1.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

दिनांक 9.11.2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का ही एक भाग था। पूर्ववर्त्ती राज्य में इस विभाग का जन्म हुए लगभग 150 वर्ष से भी अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के अलग गठन एवं इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के परिदृश्य में इस प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की महत्ता और भी बढ़ जाती है।

1.4 लोक प्राधिकरण के कर्त्तव्य :–

लोक निर्माण विभाग के मुख्य कर्त्तव्य निम्नवत् हैं :–

(1) मार्गों/सेतुओं के निर्माण/पुनःनिर्माण/सुधार कार्यों हेतु यथासमय नियोजन करना।

(2) मार्गों एवं सेतुओं का सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु वांछित रखरखाव करना।

(3) नोडल एजेन्सी के रूप में मार्ग/सेतु कार्यों के क्रियाकलापों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा–बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, नगर पालिका/नगर निगम, जिला परिषद्, सिंचाई विभाग, वनविभाग, मण्डी परिषद्, गन्ना विभाग एवं अन्य सम्बन्धित मार्ग–निर्माण कीविकास एजेन्सियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।

(4) रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत नियंत्रित क्षेत्र में मार्गों के दोनों ओर निर्माण की अनुमति दिये जाने तथा विभाग द्वारा अध्याप्त भूमि पर स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने सम्बन्धी कार्यवाही करना।

1.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :–

लोक निर्माण विभाग के मुख्य–मुख्य कृत्य निम्नवत् हैं :–

(1) विभिन्न राजकीय विभागों के भवनों का निर्माण करना।
(2) मार्गों के कोर नैटवर्क के सुधार/सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय अनुरोध पर बाह्य सहायतित एजेन्सी से वित्त–पोषण प्राप्त करना।
(3) पब्लिक/प्राइवेट पार्टीशिपेशन द्वारा मार्ग–निर्माण के प्रयास करना।
(4) केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए मार्ग–निर्माण हेतु स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त करना।
(5) राज्य एवं जिला योजना में स्वीकृत मार्गों व सेतुओं का निर्माण।
(6) मार्गों का रखरखाव।

1.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	प्रदत्त सेवाएं	संक्षिप्त विवरण
1	2	3
1	मार्गों/सेतुओं का निर्माण।	प्रदेश में सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामों को वाहन यातायात उपलब्ध कराने के लिये मार्गों एवं सेतुओं का निर्माण कराया जाता है।
2	कच्चे मार्गों को पक्का करना।	सुविधाजनक यातायात एवं आवागमन हेतु पुराने कच्चेमार्गों को पक्का/डामरीकृत किया जाता है।
3	मार्गों/सेतुओं का पुनः निर्माण एवं सुधार	सभी महत्वपूर्ण नगरों, ग्रामों, व्यावसायिक मण्ड़ियों, तीर्थ स्थलों, एवं पर्यटन स्थलों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्गों एवं सेतुओं का पुनःनिर्माण एवं सुधार किया जाता है।
4	मार्गों का उच्चीकरण	यातायात के घनत्व के बढ़ने, महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों एवं पर्यटन स्थलों तथा महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किया जाता है।
5	भवनों का निर्माण	अपने विभाग के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर निर्माण किया जाता है।
6	मार्गों/सेतुओं का रखरखाव	सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु मार्गों एवं सेतुओं का रखरखाव/अनुरक्षण किया जाता है।

1.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा :–

लोक निर्माण विभाग में एक कैबिनैट मंत्री के अधीन सचिवालय में सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/अनुसचिव कार्यरत हैं।

विभाग में प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) का कार्यालय देहरादून में जिसके अधीन 02 मुख्य अभियन्ता स्तर–।, मुख्यालय तथा 02 वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, अधिष्ठान/नियोजन हैं तथा गढ़वाल क्षेत्र के लिए पौडी/देहरादून में एक–एक मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं कुमायूँ क्षेत्र के लिए अल्मोड़ा/हल्द्वानी में एक–एक मुख्य अभियन्ता स्तर–2 कार्यालय स्थापित हैं। साथ ही मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक हेतु एक–एक पद मुख्यालय देहरादून में स्थापित है। विभागीय ढांचे के अन्तर्गत वृत्तीय स्तर पर 20 अधीक्षण अभियन्ता तथा खण्डीय स्तर पर 98 अधिशासी अभियन्ता राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक स्थिति एवं कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप कार्यरत एवं स्थापित हैं, जिनके अधीन विभिन्न श्रेणी के 1550 अभियन्ता तथा लगभग 18,000 कुशल/अकुशल श्रमिक और मिनिस्टीरियल स्टाफ कार्यरत हैं।

1.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन–सहयोग की अपेक्षाएं :–

मार्गों एवम् सेतुओं के निर्माण/पुनःनिर्माण व रखरखाव के कार्यों में जन–सहयोग की अपेक्षा विभाग द्वारा की जाती है। विशेषतः मार्गों के समरेखन तथा सेतुओं के स्थल–चयन में जनता की भागीदारी होने तथा उनके सुझाव पर विचार करने पर निर्माण–कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराना सम्भव हो पाता है। इसके अतिरिक्त निकटवर्त्ती क्षेत्रों में उपलब्ध निर्माण सामग्रियों यथा रेत, बजरी, पत्थर आदि के उपयोग के लिये भी नाप भूमि की स्थिति में जन–सहयोग की आवश्यकता पड़ती रहती है, अन्यथा दूरस्थ क्षेत्रों से इन सामग्रियों की व्यवस्था करने पर योजना की लागत में काफी वृद्धि हो जाती है। जनता से यह भी अपेक्षा की जाती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मार्ग पर निजी निर्माण–सामग्रियां एकत्रित न की जाये, ताकि यातायात अवरूद्ध न हों एवं मार्ग–सतह को क्षति न पहुंचे। मार्गों के किनारे नालियों से पानी की निकासी सुनिश्चित हो सके, इसके लिये जनता नालियों में कूड़ा–कर्कट न डालें।

1.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था :–

जन–सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनता से व्यक्तिगत सम्पर्क तो किया ही जाता है, जनता द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाता है।

1.10 जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण हेतु विभाग के हर कार्यालय में कार्य–दिवसों में समय–सीमा निर्धारित की गयी हैं, जिसमें कार्यालय से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनता की समस्याओं एवं शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यालय में एक शिकायत–पेटी रखी गयी हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना शिकायती पत्र डाल सकता है और सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उस पत्र पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।

1.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

यह सूचना इस हस्त पुस्तिका के मैनुअल संख्या 9 पर उपलब्ध है।

1.12 कार्यालय के खुलने का समय :– प्रातः 10.00 बजे।
कार्यालय के बन्द होने का समय :– सायं 5.00 बजे।

प्रमुख सचिव–अपर–संयुक्त सचिव–अनुसचिव

प्रमुख अभियन्ता, देहरादून

मुख्य अभियन्ता
(अधिष्ठान / नियोजन)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों की सूची

क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा		क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी			कुल खण्ड
प्रथम वृत्त अल्मोड़ा	**तृतीय वृत्त पिथौरागढ़**	**द्वितीय वृत्त, नैनीताल**	**चतुर्थ वृत्त, ऊधमसिंहनगर**	**पंचम् वृत्त, वि0 / यां0 हल्द्वानी**	
प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा निर्माण खण्ड रानीखेत प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर निर्माण खण्ड, कपकोट	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़ प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट निर्माण खण्ड, अस्कोट अस्थाई खण्ड, बेरीनाग प्रा0ख0 चम्पावत नि0ख0 लोहाघाट ढुलीगाढ़ टनकपुर (निःसंवर्गीय)	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल निर्माण खण्ड, नैनीताल निर्माण खण्ड, रामनगर निर्माण खण्ड, हल्द्वानी अस्थाई खण्ड, भवाली	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रपुर निर्माण खण्ड, खटीमा निर्माण खण्ड, काशीपुर	वि0 / यां0 खण्ड, बाजपुर वि0 / यां0 खण्ड, पिथौरागढ़ वि0 / यां0 खण्ड, भीमताल	**सिविल–20 संवर्गीय+01नि :संवर्गीय यॉत्रिक–03**
खण्ड का योगः– 6	**7**	**5**	**3**	**3**	

क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून			क्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी				कुल खण्ड
9वां वृत्त, देहरादून	**हरिद्वार वृत्त, हरिद्वार**	**11वां वृत्त वि0 / या0 वृत्त, देहरादून**	**12वां वृत्त पौड़ी**	**7वां वृत्त, गोपेश्वर**	**षष्टम् वृत्त, उत्तरकाशी**	**8वां वृत्त नई टिहरी**	
प्रान्तीय खण्ड, देहरादून अस्थाई खण्ड, चकराता अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश अस्थाई खण्ड, सहिया निर्माण खण्ड, देहरादून	प्रा0ख0 हरिद्वार नि0ख0 रूड़की सिविल खण्ड लक्सर	वि0 / यां0 खण्ड, ऋषिकेश वि0 / या0 खण्ड, गोपेश्वर वि0 / या0 खण्ड, देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी निर्माण खण्ड, पौड़ी निर्माण खण्ड, श्रीनगर प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन निर्माण खण्ड, दुगड्डा निर्माण खण्ड बैजरों निर्माण खण्ड पावौ	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग निर्माण खण्ड, थराली निर्माण खण्ड, गौचर नि0ख0 गैरसैंण सिविल खण्ड पोखरी प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग निर्माण खण्ड, ऊखीमठ नि0ख0 गुप्तकाशी (डी0डी0एम0ए0)	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी प्रान्तीय खण्ड, भटवाड़ी निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी (मु0 चिन्यालीसौण) निर्माण खण्ड, पुरोला निर्माण खण्ड, बड़कोट	अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ निर्माण खण्ड, नई टिहरी अस्थाई खण्ड, कीर्तिनगर निर्माण खण्ड, चम्बा अस्थाई खण्ड, घनसाली निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी	सिविल 36 यॉत्रिक 03
खण्ड का योगः– 5	**3**	**3**	**7**	**9**	**5**	**7**	

मुख्य अभियन्ता रा0मा0 उत्तराखण्ड		मुख्य अभियन्ता ए0डी0बी0 देहरादून	विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून	कुल खण्ड
10वां रा0मा0 वृत्त, देहरादून	रा0मा0 वृत्त हल्द्वानी			
रा0मा0 खण्ड, रूड़की रा0मा0 खण्ड, बड़कोट रा0मा0 खण्ड, धुमाकोट रा0मा0 खण्ड श्रीनगर रा0मा0 खण्ड रूद्रप्रयाग रा0मा0 खण्ड डोईवाला	रा0मा0 खण्ड, लोहाघाट रा0मा0 खण्ड, रानीखेत रा0मा0 खण्ड, हल्द्वानी	ए0डी0बी0 खण्ड रूद्रपुर निर्माण खण्ड–2 ए0डी0बी0 नैनीताल निर्माण खण्ड–2 ए0डी0बी0 अल्मोड़ा	1– क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड, देहरादून 2– डिजाइन सेल, देहरादून 3– अन्वेषण सेल, देहरादून	**रा0मा0 खण्ड –09** **ए0डी0बी0 खण्ड –03** **क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड –01** **डिजाइन सेल –01** **अन्वेषण सेल –01**
खण्ड का योगः– 6	**3**	**3**	**03**	

वर्ल्ड बैंक

मुख्य अभियन्ता स्तर–2 वर्ल्ड बैंक, देहरादून			कुल खण्ड
वर्ल्ड बैंक वृत्त पिथौरागढ़	**वर्ल्ड बैंक वृत्त टिहरी**	**वर्ल्ड बैंक वृत्त रूद्रप्रयाग**	
वर्ल्ड बैंक खण्ड नैनीताल वर्ल्ड बैंक खण्ड मुनस्यारी वर्ल्ड बैंक खण्ड चम्पावत वर्ल्ड बैंक खण्ड बागेश्वर वर्ल्ड बैंक खण्ड अस्कोट	वर्ल्ड बैंक खण्ड उत्तरकाशी वर्ल्ड बैंक खण्ड टिहरी वल्ड्ड बैंक खण्ड कर्णप्रयाग	वर्ल्ड बैंक खण्ड गुप्तकाशी वर्ल्ड बैंक खण्ड गोपेश्वर वर्ल्ड बैंक खण्ड पौड़ी	वर्ल्ड बैंक खण्ड (निःसंवर्गीय)–11
खण्ड का योगः– 5	**3**	**3**	

मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड का सक्षिप्त इतिहास

जून 2013 में मानसून अपेक्षित समय से लगभग दो सप्ताह पूर्व आ गया था। 15 से 17 जून 2013 को उत्तराखण्ड राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अनेक भागों में बादल फटने की घटनाएं हुई और भारी वर्षा (64.5–124.4 मि.मी.) से लेकर अति भारी वर्षा (124.5–244.4 मि.मी.) हुई। अपूर्व वर्षा के परिणाम स्वरूप जल स्तरों में अचानक वृद्धि हो गई जिससे मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और अन्य नदी तटों पर अचानक बाढ़ का प्रकोप हो गया तथा अनेक स्थानों पर भारी भूस्खलन हो गया। इसके अतिरिक्त निरंतर वर्षा और चोराबारी हिमनद के गलने के कारण चोराबारी झील में जल स्तर बढ़ने लगा। झील के कमज़ोर हिमोढ़ अवरोध दरक गये जिसके कारण भारी जल प्रवाह के साथ विशाल हिमनद गोलाष्म पूर्व की ओर आ लुढ़के जिससे केदारनाथ नगर, रामबाड़ा, गौरीकुंड और अन्य स्थानों पर भीषण तबाही हुई। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस घटना से उत्तराखण्ड राज्य में 90,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

इस आपदा के कारण बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद सर्वाधिक प्रभावित हुए। यह यात्रा मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा पर्यटक व यात्रा सीज़न इस समय चरम पर होने के कारण मृतकों, लापता और प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। कुल 580 मानव जीवन की क्षति हुई, 5,200 से अधिक व्यक्ति लापता हुए जो अब भी लापता हैं, 4,200 गांव प्रभावित हुए, 9,200 पशु खो गये और 3,320 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये। इस घटना के कारण 70,000 पर्यटक और 1,00,000 स्थानीय निवासी भी ऊँचे पर्वतीय भागों में फंसे रहे।

अनेक भूस्खलनों और मलबे से भरी नदियों द्वारा क्षरण से अनेक स्थानों पर सड़कें/राज्य मार्ग टूट गये तथा अनेक पुल (स्टील गर्डर से बने पुल, बीम वाले पुल, सस्पेंशन/केबल पुल) बह गये। राज्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर यातायात बाधित हो गया और इसके साथ–साथ दूर–संचार की लाईनों में व्यवधान आ गया जिससे आपदा का प्रभाव और भी बढ़ गया। केदारनाथ के आसपास के होटल, विश्रामगृह, दुकानें पूरी तरह तहस–नहस हो गये।

उत्तराखण्ड सरकार भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) और नेशनल डिज़ास्टर रेस्पान्स फोर्स (एन.डी.आर.एफ.) की सहायता से तीव्रता से आपदा के पश्चात् आपात राहत पहुंचाने और निष्क्रमण के कार्यों में अत्यन्त सक्रिय रही। अत्यन्त भारी वर्षा के कारण प्रचालन कार्य विलंबित और कठिन हो गये तब भी वायु सेना, सेना, अर्ध सैनिक बलों, सिविलियन हेलीकॉप्टर्स व मार्ग वाहनों ने 1,10,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला।

आर्थिक मामले विभाग (डी.ई.ए.) भारत सरकार, से निवेदन प्राप्त होने पर विश्व बैंक (वि.बैं.) और एशियन डेवेलप्मैंट बैंक (ए.डी.बी.) ने राज्य के भीतर एक संयुक्त त्वरित हानि और आवश्यकता निर्धारण (जे.आर.डी.एन.ए.) मिशन स्थापित किया। इस जे.आर.डी.एन.ए. ने 29 जुलाई से 07 अगस्त, 2013 तक राज्य का दौरा किया तथा भारत सरकार के सहयोग से हानियों का बहु क्षेत्रीय निर्धारण कर तुरन्त रिकवरी तथा पुनर्निमाण आवश्यकता संरचना का आधार तय किया। यद्यपि आपदा से लगभग सभी जनपद प्रभावित हुए थे तथापि निर्धारण को मुख्य रूप से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों – बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी पर केन्द्रित किया गया।

1.1 परियोजना विवरण घटक–1: ग्रामीण मार्ग संपर्क – रू0 970.30 करोड़

1. इस घटक का उद्देश्य है – क्षतिग्रस्त मार्गों, पुलों, ग्राम मार्गों अन्य जनपद मार्गों, पैदल मार्गों, पैदल मार्ग पुलों का पुनर्निमाण कर आपदा के कारण कट चुके संपर्क को पुनःस्थापित करना। मार्गों और पुलों का निर्माण नवीनतम सरकारी डिजायन दिशा–निर्देशों के अनुसार भूकंप और बाढ़ को रोकने लायक डिजायन किया जायेगा। प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के समीप के बाजार तक पहुंच बहाल हो जायेगी जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि होगी तथा स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं तक समय से पहुंच भी आसान होगी।

2. **उप–घटक 1.1 ग्रामीण मार्ग – रू0 751.20 करोड़**

इससे पी.एम.जी.एस.वाय कार्यक्रम मानकों को अपनाते हुए लगभग 3,600 कि.मी. क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों के पुनर्निमाण में सहायता मिलेगी। इसमें नये जल निकासी कार्यों व पुलों का निर्माण तथा भूस्खलन को रोकने के लिये पुश्ता निर्माण व अन्य संरचनाएं तथा छोटे सुधार कार्य सम्मिलित हैं।

उप–घटक 1.2 अन्य जनपद मार्ग (ओ.डी.आर.) – रू0 81.38 करोड़ – इसमें पहुंच को आसान बनाने तथा संपूर्ण आर्थिक विकास हेतु अवसर प्रदान करने के लिये लगभग 675 कि.मी. अन्य जनपद मार्गों का पुनर्निमाण, ग्रामीण मार्गों को मुख्य जनपद मार्गों (एम.डी.आर) राज्यीय राज मार्ग (एस.एच.) और/या राष्ट्रीय मार्गों (एन.एच.) से जोड़ना सम्मिलित होगा।

उप–घटक 1.3 पैदल मार्ग और पुल – रू0 137.72 करोड़ – इसके अन्तर्गत लगभग 440 कि.मी. पैदल मार्गों और 140 पैदल पुलों का पुनर्निमाण होगा जिससे सुदूर क्षेत्र में स्थित गांवों में पैदल मार्ग से पहुंचने की सुविधा प्राप्त होगी।

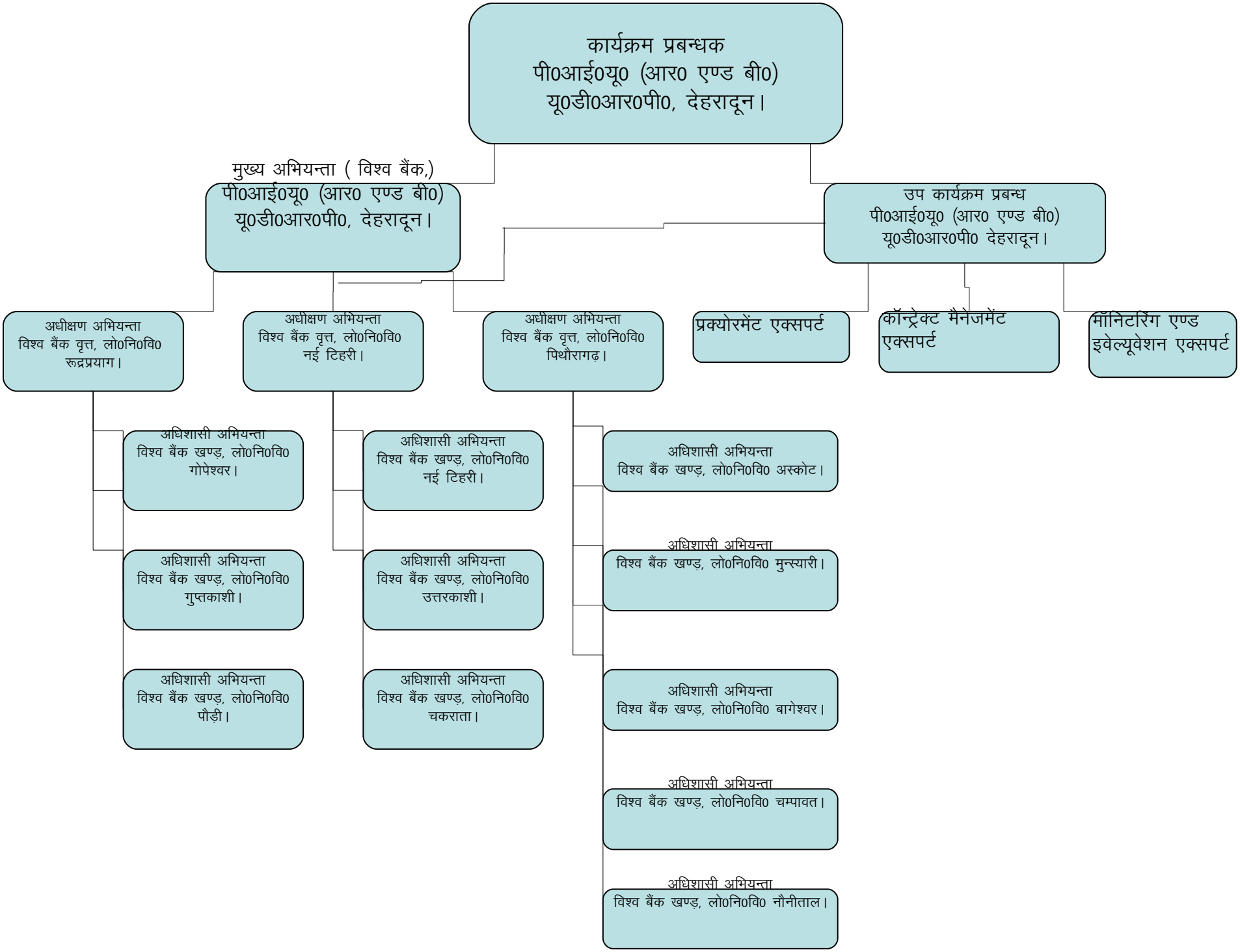
कार्यक्रम प्रबन्धक
पी0आई0यू0 (आर0 एण्ड बी0)
यू0डी0आर0पी0, देहरादून।
मुख्य अभियन्ता (विश्व बैंक,)
पी0आई0यू0 (आर0 एण्ड बी0)
यू0डी0आर0पी0, देहरादून।
उप कार्यक्रम प्रबन्ध
पी0आई0यू0 (आर0 एण्ड बी0)
यू0डी0आर0पी0 देहरादून।
अधीक्षण अभियन्ता
विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।
अधीक्षण अभियन्ता
विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0
नई टिहरी।
अधीक्षण अभियन्ता
विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।
प्रक्योरमेंट एक्सपर्ट
कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट
एक्सपर्ट
मॉनिटरिंग एण्ड
इवेल्यूवेशन एक्सपर्ट
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0
गोपेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0
गुप्तकाशी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0
पौड़ी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0
नई टिहरी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0
चकराता।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0 अस्कोट।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0 मुन्स्यारी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0 बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0 चम्पावत।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड़, लो0नि0वि0 नौनीताल।

संख्या 431 / III(1) / 12–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 12 जून 2012**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवसृजित पदों / कार्यालयों के स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–716 / 3व्यक–सा0 / 2012, दिनांक 21.04.12 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे के पुनर्गठन होने के फलस्वरूप पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों के लिए सृजित अधीक्षण अभियन्ता के पद / कार्यालय की पद स्थापना आपके द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या–1828 / 3व्यक–सा0 / 2011 दिनांक 23.12.11 के द्वारा की गयी है, पर अनुमोदन चाहा गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों हेतु आपके कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.12.11 द्वारा किये गये कार्यालय / वृत्तों की पद स्थापना पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता हैं।

1. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0– ज्योलीकोट (कुमांऊ क्षेत्र)

2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0– श्रीनगर (गढ़वाल क्षेत्र)

3- अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त निःसंवर्गीय– टिहरी (गढ़वाल क्षेत्र)

4- अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त निःसंवर्गीय– पिथौरागढ़(कुमांऊ क्षेत्र)

भवदीय
(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या 759 / III(1) / 12–70(अधि0) / 05

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 09 अगस्त 2012**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं अधीक्षण अभियन्ता / वृत्तीय कार्यालय के लिए अस्थाई निःसंवर्गीय पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1253 / ।।।(1) / 06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 दिनांक 12.07.06, शासनादेश संख्या 1053 / ।।। (1) / 07–70(अधि0) / 05 दिनांक 19.07.07 एवं शासनादेश संख्या 1768 / ।।।(1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 दिनांक 12.12.11 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया हैं।

वर्तमान में पी0एम0जी0एस0वाई0 की योजनाओं से संबंधित कार्य गतिमान है। पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण एवं त्वरित गति से सम्पादित किये जाने के लिए मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (पी0एम0जी0एस0वाई0) का 01 निःसंवर्गीय पद वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0 8900 तथा वृत्त / अधीक्षण अभियन्ता के 02 निसंवर्गीय पद वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600 में शासनादेश निर्गत करने की तिथि से दिनांक 28.02.13 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पद पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों की परियोजना अवधि तक ही रहेंगे और दिनांक 28 फरवरी के बाद पदों की उपादेयता स्पष्ट कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेत्तर निरन्तरता निर्गत की जायेगी।
3. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।
4. सृजित मुख्य अभियन्ता स्तर–2 का मुख्यालय देहरादून में स्थापित होगा तथा अधीक्षण अभियन्ता / वृत्त कार्यालय का मुख्यालय निम्न प्रकार से होंगेः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (निःसंवर्गीय) मसूरी।

2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (निःसंवर्गीय) अल्मोड़ा।

5. उक्तानुसार 02 नये वृत्तों की स्थापना के उपरान्त कुल संचालित 04 वृत्तों के अन्तर्गत निम्नवत् जिले रखे जायेंगेः–

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	वृत्त का नाम	वृत्त का मुख्यालय	वृत्त के अन्तर्गत आने वाले जनपद
1	2	3	4	5
1	गढ़वाल मण्डल	श्रीनगर	श्रीनगर	1– नि0ख0, लो0नि0वि0, पोखरी 2– ग्रा0अ0से0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग 3– सिं0ख0, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग 4– सिं0ख0 लो0नि0वि0, श्रीनगर 5– सिं0ख0 लो0नि0वि0, कोटद्वार 7– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार
2		मसूरी	मसूरी	1– सिं0ख0–1, लो0नि0वि0, टिहरी 2– सिं0ख0–2, लो0नि0वि0, टिहरी 3– सिं0ख0, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी 4– नि0ख0, लो0नि0वि0, कालसी 5– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी
3	कुमांऊ मण्डल	ज्योलिकोट	ज्योलिकोट	1– नि0ख0, लो0नि0वि0, सल्ट 2– सिं0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा 3– सिं0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल 4– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नैनताल 5– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
4		अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	1– सिं0ख0, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ 2– सिं0ख0, लो0नि0वि0, बागेश्वर 3– सिं0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत 4– ग्रा0अ0से0, लो0नि0वि0, कपकोट 5– ग्रा0अ0से0, लो0नि0वि0, डीडीहाट 6– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़

6. उपरोक्त सृजन होने वाले वृत्तों में मितव्ययता के दृष्टिगत कार्यालयी स्टाफ/अन्य अधिकारियों की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में स्वीकृत स्टाफ से समायोजन द्वारा ही की जायेगी।
7. वृत्तीय कार्यालयों के मुख्यालय हेतु कार्यालयी भवन व अन्य व्यवस्था विभाग द्वारा अनुमन्यता के अनुसार नियमानुसार की जायेगी।
8. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–492/XXVII(2)/2012 दिनांक 08.08.12 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या 759/III(1)/12–70(अधि0)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/ कुमांऊ मण्डल।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊं।
9- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10- वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

संख्या 1427 / III(1) / 12–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01, टी0सी0–IV

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 01 जनवरी, 2013**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य संवर्ग के संरचनात्मक ढ़ांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 834 / III(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–II दिनांक 06.10.06 शासनादेश संख्या 753 / III(1) / 10–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–IV दिनांक 02.06.10 एवं शासनादेश संख्या 259 / III(1) / 12–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–IV दिनांक–06.07.12 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं गैर तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढ़ांचे का पुर्नगठन करते हुए संशोधित किया गया था। शासनादेश संख्या 1768 / III(1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 दिनांक 12.12.11 के द्वारा तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढ़ांचे को पुर्नगठन किया गया। तकनीकी संवर्ग में पदों के संशोधित पुर्नगठन के फलस्वरूप तद्नुसार अतिरिक्त रूप से सृजित क्षेत्रीय कार्यालय, वृत्तीय कार्यालय एवं खण्डीय कार्यालयों में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य गैर तकनीकी संवर्ग के पदों के सृजन हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो0नि0वि0 के पत्र संख्या 1809 / 03व्यक–सा0 / 2010 दिनांक 12.12.11 के द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः शासन को उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 1768 / III(1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 दिनांक 12.12.11 के द्वारा तकनीकी संवर्ग में संशोधित पुर्नगठन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 834 / III(1) / 06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–2 दिनांक 06.10.06, शासनादेश संख्या 753 / III(1) / 10–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–4 दिनांक 02.06.10 एवं शासनादेश संख्या 259 / III(1) / 12–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–IV दिनांक 06.07.12 के द्वारा सृजित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों एवं गैर तकनीकी पदों के अतिरिक्त नवीन सृजित क्षेत्रीय कार्यालय, वृत्तीय कार्यालय एवं खण्डीय कार्यालय हेतु मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य गैर तकनीकी संवर्ग में उक्त पूर्व शासनादेशों में सृजित पदो ंके अतिरिक्त कुल 151 (लिपिक वर्गीय कर्मचारी, वैयक्तिक सहायक संवर्ग एवं लेखा संवर्ग) संवर्गीय पद निम्न तालिका के कॉलम–5 में अंकित विवरणानुसार पुर्नगठन / सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

प्रमुख अभियन्ता/जोनल कार्यालय संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600	03	01	04
2	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	22	02	24
3	मुख्य सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800	22	03	25
4	प्रवर सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2400	36	07	43
5	कनिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 1900	39	06	45
		योग	**122**	**19**	**141**

वैयक्तिक सहायक संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वैयक्तिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600	04	01	05
2	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	–	03	03
3	वैयक्तिक सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800	–	01	01
		योग	**04**	**05**	**09**

लेखा संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	लेखाकार	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	03	02	05
2	सहायक लेखाकार	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800	05	04 जोनल हेतु	09
		योग	**08**	**06**	**14**

वृत्तीय संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600	12	–	12
2	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	22	04	26
3	मुख्य सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800	30	04	34
4	प्रवर सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2400	50	08	58
5	कनिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 1900	54	08	62
		योग	168	24	192

वैयक्तिक सहायक संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	04	05	09
2	वैयक्तिक सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800	–	–	–
		योग	04	05	09

खण्डीय संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600	70	–	70
2	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	124	15	139
3	मुख्य सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800	175	14	189
4	प्रवर सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2400	291	24	315
5	कनिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 1900	311	25	336
		योग	**971**	**78**	**1049**

वैयक्तिक सहायक संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वैयक्तिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600	10	–	10
2	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	24	–	24
3	वैयक्तिक सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800	33	14	47
		योग	**67**	**14**	**81**

चालक संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	कार/जीप चालक ग्रेड–I	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	06	–	06
2	कार/जीप चालक ग्रेड–II	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800	33	–	33
3	कार/जीप चालक ग्रेड–III	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2400	34	–	34
4	कार/जीप चालक ग्रेड–IV	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 1900	39	24 आऊट सोर्सिंग से	63
		योग	**112**	**24**	**136**

3- यदि विभाग द्वारा वाहन किराये पर लिया जाता है, तब 24 पदों के सापेक्ष चालक को आऊट सोर्सिंग से लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशन एवं 051–निर्माण–03–विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–123/XXVII–7/11 दिनांक 19–11–2012 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय

(डा0 एस0एस0 संधू)

सचिव

संख्या 1427/III(1)/12–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, टी0सी0–IV तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3- समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।

9- वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।

10- लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।

11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(महिमा)
अनु सचिव

संख्या 924/।।।(1)/11–70(अधि0)/05

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 24 अगस्त 2012**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्पादन हेतु सृजित अधीक्षण अभियन्ता के अस्थाई निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 228/।।।(1)/10–70(अधि0)/05 दिनांक 31.05.10 एवं शासनादेश संख्या 1128/।।। (1)/ 10–70 (अधि0)/05 दिनांक 30.07.10 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु 04 वृत्तीय कार्यालय एवं अधीक्षण अभियन्ता के 04 अस्थाई निःसंवर्गीय पद वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600 में परियोजना अवधि तक के लिए अथवा दिनांक 28.02.11 तक के लिए सृजित किये गये हैं, जिसकी निरन्तरता शासनादेश संख्या 239/।।।(1)/10–70(अधि0)/05 दिनांक 07.03.11 के द्वारा दिनांक 28.02.12 तक बढ़ायी गयी है।

2. लोक निर्माण विभाग के वर्ष 2011 में तकनीकी पदों में पुनर्गठन होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 1768/।।।(1)/11–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 दिनांक 12.12.11 के द्वारा उपरोक्त सृजित 04 अधीक्षण अभियन्ता के निःसंवर्गीय पदों में से 02 पदों को संवर्गीय ढ़ांचे में सम्मिलित किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 31.05.10 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के 04 निःसंवर्गीय पदों के सापेक्ष 02 पद निःसंवर्गीय रह गये हैं।

3. अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 228/।।।(1)/10–70(अधि0)/05 दिनांक 31.05.10 के द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता के अवशेष 02 अस्थाई निः संवर्गीय पद वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 7600 में सृजित पदों की निरन्तरता दिनांक 28.02.13 तक कार्यहित में बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 551/XXVII/12(2) दिनांक 21 अगस्त 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या 924 / III(1) / 11–70(अधि0) / 05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।

4- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमाऊं।

8- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9- वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

10- लोक निर्माण अनुभाग–2 / 3, उत्तराखण्ड शासन।

11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

संख्या 1768 / III(1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे का पुनर्गठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2054 / ।।।(1) / 06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या 1253 / ।।।(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 दिनांक 12.07.06 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढ़ांचे का पुर्नगठन किया गया था।

इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या– 549 / 03व्यक–सा0–उत्तराखण्ड / 2011, दिनांक 28.05.11, जिसके द्वारा शासन के उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में पुनः संरचनात्मक ढ़ांचे में पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढ़ांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। अतः शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव के विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढ़ांचे में निम्न प्रकार से संशोधन करते हुए अतिरिक्त पद / खण्ड / वृत्त / क्षेत्रीय कार्यालय में तालिका के स्तम्भ–5 में इंगित निर्धारित वेतनमान के 197 पद तथा आऊट सोर्सिंग के आधार पर 12 पद कुल 209 अतिरिक्त अस्थाई पद दिनांक 28.02.13 तक वर्षर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, तक सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त पद संख्या	कुल संशोधित प्रस्तावित पद
1	2	3	4	5	6
1	प्रमुख अभियन्ता/ विभागाध्यक्ष	रू0 22400–24500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 67000–79000	–	01	01
2	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	रू0 18400–22400 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड वेतन–10,000	01	01	02
3	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	रू0 16400–20000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड वेतन–8900	02	02	04
4	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	रू0 12000–16500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन–7600	12	05	17
5	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	रू0 10000–15200 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन–6600	71	14	85
6	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	रू0 10000–15200 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन–6600	05	01	06
7	सहायक अभियन्ता (सिविल)	रू0 8000–13500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400	297	36	333
8	सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	रू0 8000–13500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400	26	02	28
9	कनिष्ठ अभियन्ता (सिवलि)	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	792	107	899 शासनादेशानुसार उपरोक्त पदों में 75% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।
10	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	40	04	44 शासनादेशानुसार उपरोक्त पदों में 75% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।
11	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	58	02	60 शासनादेशानुसार उपरोक्त पदों में 75% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।

क0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त पद संख्या	कुल संशोधित प्रस्तावित पद
12	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	81	11	92 शासनादेशानुसार उपरोक्त पदों में 75% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।
13	मानचित्रकार	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	77	11	88
14	विधि परामर्शी	–	03	02	05 आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे
15	सहायक शोध अधिकारी	–	–	02	02 आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे
16	जूनियर कैमिस्ट	–	–	04	04 आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे
17	जूनियर लैब असिस्टेन्ट	–	–	04	04 आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे

(1) प्रमुख अभियन्ता– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर–1– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 का पद विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्तर्गत 01 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मुख्यालय) होगे, जो मुख्यालय एवं अधिष्ठान कार्य देखेंगे तथा दूसरे मुख्य अभियन्ता स्तर–1 नियोजन, प्लानिंग, बजट आदि कार्यों को देखेंगे।

(3) मुख्य अभियन्ता स्तर–2/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता– क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा एवं पौड़ी के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रा0मा0, मुख्यालय देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0/आई0टी0 होंगे।

(4) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)– पूर्व में सृजित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के अतिरिक्त सिविल वृत्त हरिद्वार हेतु 01, रा0मा0 वृत्त हल्द्वानी हेतु 01 पद, डायरेक्टर क्वालिटी प्रमोशन एवं डिजाइन हेतु 01 पद तथा 02 पद पी0एम0जी0एस0वाई0 के होंगे। पी0एम0जी0एस0वाई0 हेतु वृत्तों की पदस्थापना पृथक से की जायेगी, होने पर पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के सृजित 04 निःसंवर्गीय पद में से ए0डी0बी0 हेतु 02 पद निःसंवर्गीय पद रह जायेंगे।

(5) अधिशासी अभियन्ता (सिविल)– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 14 अतिरिक्त पद/खण्ड सृजित किये गये है, जिसमें नियोजन एवं डिजाइन तथा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु 01–01 पद, रा0मा0 खण्ड हेतु 01 पद ए0डी0बी0 खण्ड हेतु 06 पद एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड हेतु 05 पद/खण्ड होंगे। खण्डों पदस्थापना पृथक से की जायेगी।

(6) अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)– विद्युत कार्यों के सम्पादन में कठिनाई को देखते हुए देहरादून में 01 पद/खण्ड सृजित किया जायेगा तथा इसी प्रकार कुमाऊं के अन्तर्गत कार्यभार को देखते हुए तथा मा0 उच्च न्यायालय के भवनों व राजभवन के कार्यों के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष के कार्यालय हेतु पूर्व से सृजित 01 पद को विद्युत/यांत्रिक खण्ड के रूप में स्थान भीमताल में स्थापित किया जायेगा।

(7) सहायक अभियन्ता (सिविल एवं वि0/यां0)– नये सृजित खण्डों हेतु सहायक अभियन्ता (सिविल) के 36 पद एवं सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) के 02 पद होंगे।

(8) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत, यांत्रिक)– नये सृजित खण्डों हेतु कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 107, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के 04, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के 02 एवं कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के 11 पद होंगे।

(9) मानचित्रकार– नये सृजित खण्डों हेतु मानचित्रकार के 11 अतिरिक्त पद होंगे।

(10) विधि परामर्शी– विभाग में बढ़ते कोर्ट केसों को देखते हुये विधि अधिकारी के 02 नये पद सृजित किये गये हैं। उक्त पद आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

(11) सहायक अभियन्ता शोध अधिकारी– क्वालिटी प्रमोशन सैल के दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 01–01 पद सहायक अभियन्ता शोध अधिकारी के होंगे। उक्त पद आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

(12) जूनियर कैमिस्ट– क्वालिटी प्रमोशन सैल के दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 02–02 जूनियर कैमिस्ट के पद होंगे। उक्त पद आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

(13) जूनियर लैब असिस्टेन्ट– क्वालिटी प्रमोशन सैल के दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 02–02 पद जूनियर लैव असिस्टेन्ट के होंगे। उक्त पद आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

उक्त क्रमांक–10 से 13 में अंकित पदों का पारिश्रमिक विहित प्रक्रिया एवं मानक/मापदण्डों के आधार पर ही देय होगा।

2. शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश संख्या 2054/।।।(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या–1253/।।।(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 दिनांक 12.07.06 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–2059, लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य–001 निदेशन तथा प्रशाासन–03 निदेशन तथा 051 निर्माण–03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–839/XXVIII–7/11 दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय
(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 1768 / III(1) / 11–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- समस्त प्रमुख सचिव, / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10- लोक निर्माण अनुभाग–2 / 3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

संख्या 228 / III(1) / 10–70(अधि0) / 05

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 31 मई, 2010**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता/वृत्तीय कार्यालय के लिए अस्थाई नि :संवर्गीय पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 की योजनाओं से सम्बन्धित कार्य गतिमान है। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों हेतु राज्य में 14 खण्ड और ऐशियन डिवलमेन्ट बैंक में वित्त पोषित उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम योजना के कार्यों हेतु 07 dedicated खण्ड स्थापित हैं। इस योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण एवं सुचारू सम्पादन के लिए 04 dedicated वृत्त/अधीक्षण अभियन्ता के निसंवर्गीय पद एवं कार्यालय परियोजना अवधि तक के लिए सृजित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

2. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों को गति देने हेतु अधीक्षण अभियन्ता के 04 अस्थाई निःसंवर्गीय पद वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100, ग्रेड–पे रू0 7600 में शासनादेश निर्गत करने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो से दिनांक 28.02.11 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जो कि पी0एम0जी0एस0वाई0 एव ए0डी0बी0 से सम्बन्धित दोंनो कार्यों का सम्पादन करायेंगे।

उक्त पद पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों की परियोजना अवधि तक ही रहेंगे और दिनांक 28 फरवरी के बाद पदों की उपादेयता स्पष्ट कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेत्तर निरन्तरता निर्गत की जायेगी।

3. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। वृत्त कार्यालय का मुख्यालय 02 गढ़वाल मण्डल में होंगे तथा 02 कुमाऊं मण्डल में होंगे। प्रत्येक मुख्यालय के नियन्त्रणाधीन निम्नवत् जिले रखे जायेंगेः–

क0 सं0	मण्डल का नाम	प्रस्तावित वृत्त का नाम	वृत्त का मुख्यालय	वृत्त के अन्तर्गत आने वाले जनपद
1	2	3	4	5
1.	**गढ़वाल मण्डल**	टिहरी	टिहरी	टिहरी उत्तरकाशी देहरादून हरिद्वार
2.		पौड़ी	श्रीनगर	पौड़ी चमोली रूद्रप्रयाग
3.	**कुमाँऊ मण्डल**	भीमताल	भीमताल	नैनीताल ऊधमसिंहनगर चम्पावत
4.		पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बागेश्वर

उपरोक्त सृजित होने वाले वृत्तीय कार्यालयों के नियन्त्रणाधीन निम्न स्थापित खण्ड रखे जायेंगेः–

	कुमाऊं क्षेत्र	
1	**वृत्तीय कार्यालय भीमताल**	
	1. सिंचाई खण्ड, नैनीताल	
	(i) जनपद नैनीताल	
	(ii) जनपद ऊधमसिंह नगर	
	2. सिंचाई खण्ड चम्पावत	(चम्पावत जनपद)
2.	**वृत्तीय कार्यालय पिथौरागढ़**	
	1. निर्माण खण्ड, सल्ट	(जनपद अल्मोड़ा)
	2. सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	
	3- सिंचाई खण्ड बागेश्वर	(जनपद बागेश्वर)
	4. सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	(जनपद पिथौरागढ़)
	गढ़वाल क्षेत्र	
3.	**वृत्तीय कार्यालय श्रीनगर**	
	1. सिंचाई खण्ड पोखरी	(जनपद चमोली)
	2. सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	(जनपद रूद्रप्रयाग)
	3. सिंचाई खण्ड श्रीनगर	(जनपद पौड़ी)
	4- सिंचाई खण्ड कोटद्वार	

4.	**वृत्तीय कार्यालय टिहरी**		
	1.	सिंचाई खण्ड नं0–1 टिहरी	(जनपद टिहरी)
	2.	सिंचाई खण्ड नं0–2 टिहरी	
	3-	सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	(जनपद उत्तरकाशी)
	4.	निर्माण खण्ड हरिद्वार	(जनपद देहरादून)
			(जनपद हरिद्वार)

4. उपरोक्त सृजन होने वाले वृत्तों में मितव्यता के दृष्टिगत कार्यालयी स्टाफ/अन्य अधिकारियों की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में स्वीकृत स्टाफ से समायोजन द्वारा ही की जायेगी।
5. वृत्तीय कार्यालयों के मुख्यालय हेतु कार्यालयी भवन व अन्य व्यवस्था विभाग द्वारा अनुमन्यता के अनुसार नियमानुसार की जायेगी।
6. यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या–22/XXVII(2)/2010 दिनांक 25.05.10 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव

संख्या 228/III(1)/10–70(अधि0)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
4- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूं।

आज्ञा से
(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई विभाग
संख्याः 3411/11–2008–01(50)/05
देहरादूनः दिनांक 28 नवम्बर 2008

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों के निष्पादनार्थ सिंचाई विभाग के निम्नलिखित खण्डों को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	लोक निर्माण विभाग द्वारा खण्ड स्थापित किये जाने का स्थान	सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	अल्मोड़ा	यमुना निर्माण खण्ड प्रथम देहरादून	–
2.	पौड़ी	शक्ति नहर निर्माण खण्ड, द्वितीय डाकपत्थर	–
3.	चम्पावत	सिविल निर्माण खण्ड प्रथम, ढालीपुर	–
4.	रूद्रप्रयाग	मनेरी भाली निर्माण खण्ड द्वितीय चिन्यालीसौड़	–
5.	टिहरी	मनेरी भाली निर्माण खण्ड तृतीय चिन्यालीसौड़	–

1- सम्बद्ध किये जाने वाले प्रत्येक खण्ड में 01 अधिशासी अभियन्ता (सिविल) 03 सहायक अभियन्ता (सिविल), 02 अवर अभियन्ता (सिविल), 03 लिपिक लेखा सम्बन्धी कार्यों हेतु (खण्डीय लेखाकार हेतु वरिष्ठ लिपिक सम्मिलित करते हुए), 03 लिपिक अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों हेतु (वरिष्ठ लिपिकों को वरीयता प्रार्थनीय है) 01 अमीन एवं 05 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को तैनात किया जाय।

2- सम्बद्धीकरण अवधि में सम्बद्ध खण्ड के कार्मिक पूर्णतः लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहेंगे, जिसके अन्तर्गत अवकाश स्वीकृति वार्षिक मूल्यांकन तथा अनुशासनिक/वित्तीय प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रचलित व्यवस्थानुसार लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी सक्षम होंगे, किन्तु वार्षिक मूल्यांकन के अन्तर्गत अपील अथवा बृहद दण्ड जैसे प्रकरण नियोक्ता विभाग अर्थात् सिंचाई विभाग में ही व्यवहृत किये जायेंगे।

3. सम्बद्धीकरण अवधि में सिंचाई विभाग के कार्मिकों की वेतनवृद्धि प्रोन्नति आदि बिन्दुओं का निस्तारण सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ही अपने यहाँ प्रचलित नियमानुसार व्यवहृत किया जायेगा।

4- लोक निर्माण विभाग द्वारा वांछित खण्डों की स्थापना हेतु सम्बन्धित स्थानों का विवरण मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सि0वि0, को उपलब्ध कराया जायेगा और वे अपने स्तर से कार्मिकों की तैनाती एवं खण्ड के विस्थापन सम्बन्धी सम्यक् आदेश निर्गत करेंगे। फिलहाल कार्मिकों का सम्बद्धीकरण दो वर्ष के लिये किया जायेगा तथा दो वर्ष के बाद की आवश्यकता के सम्बन्ध में दोनों विभागों के मध्य पारस्पर सहमति से यथासमय सम्यक् निर्णय लिये जायेंगे।

5- सम्बद्ध किये जाने वाले खण्डों में तैनात कार्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य वित्तीय लाभ सिंचाई विभाग के अधिष्ठान से ही उपलब्ध कराये जायेंगे तथा लोक निर्माण विभाग से सिंचाई विभाग को कोई सैन्टेज चार्जेज देय नहीं होंगे।

6. नये सृजित खण्डों हेतु कार्यालय भवन एवं यथा सम्भव आवासीय सुविधा लोक निर्माण विभाग द्वारा करायी जायेगी।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः 3411/11–2008–01(50)/05 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल।
4- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5- अपर सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–2212/एस0ओ01–13/यू0आर0डी0ए0/03, दिनांक 29.09.2008 के क्रम में।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग।
7- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या– 3107/मु0अ0/सिंविदे/आर–2/लोनिवि/ दिनांक 22.10.08 के क्रम में।
8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव

संख्या 1053 / III(1) / 07–70(अधि0) / 05

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 19 जुलाई, 2007**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे में नवसृजित खण्डों की स्थापना मुख्यालय एवं कार्य क्षेत्र के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 615 / 3व्यक–सा0 / 07 दिनांक 28.04.07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1253 / ।।।(1) / 06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 2001 दिनांक 12.07.06 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे में संशोधित करते हुए तकनीकी ढ़ांचे का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 58 पदों के स्थान पर 71 पर सृजित किए गए हैं। इस प्रकार नव सृजित 13 खण्डों में 11 सिविल खण्ड व 02 राष्ट्रीय मार्ग खण्ड रखे गए। अतः नवसृजित 13 खण्डों की स्थापना कार्य क्षेत्र एवं मुख्यालय निर्धारण निम्नानुसार संशोधित करते हुए स्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	खण्ड का नाम	खण्ड का मुख्यालय	संबंधित वृत्त का नाम	सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का विवरण
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड धुमाकोट	धुमाकोट	राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्य
2	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्य
3	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	नवां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून	सिविल कार्यों के सम्पादन हेतु
4	निर्माण खण्ड, हरिद्वार	हरिद्वार	नवां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून	जनपद हरिद्वार एवं देहरादून के पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों के सम्पादन हेतु
5	निर्माण खण्ड–2देहरादून	देहरादून	नवां वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून	जनपद देहरादून हरिद्वार व उत्तरकाशी के ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्पादन हेतु
6	निर्माण खण्ड बड़कोट	बड़कोट	छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	सिविल कार्यों के सम्पादन हेतु
7	निर्माण खण्ड पोखरी	पोखरी	सातवां वृत्त लो0नि0वि0, गोपेश्वर	जनपद चमोली एवं रूद्रप्रयाग के पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों के

				सम्पादन हेतु
8	निर्माण खण्ड जोशीमठ	जोशीमठ	सातवां वृत्त लो0नि0वि0, गोपेश्वर	जनपद चमोली रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल के ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्पादन हेतु
9	निर्माण खण्ड सल्ट	सल्ट	प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	जनपद अल्मोड़ा के पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों के सम्पादन हेतु
10	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	प्रथम वृत्त लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सिविल कार्यों के सम्पादन हेतु
11	निर्माण खण्ड–2 अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	प्रथम वृत्त लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्पादन हेतु
12	निर्माण खण्ड–2 नैनीताल	नैनीताल	दूसरा वृत्त लो0नि0वि0, नैनीताल	जनपद नैनीताल, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर के ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्पादन हेतु
13	वि0/यां0 खण्ड बाजपुर	बाजपुर	पाचंवा वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0, हल्द्वानी	जनपद नैनीताल, उधमसिंहनगर एवं अल्मोड़ा के वि0/यां0 कार्यों के सम्पादन हेतु

उपरोक्त शासनादेश संख्या 1253/।।।(1)/06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 दिनांक 12.07.06 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश की शेष पद संरचना व शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय
(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव

संख्या 1053/।।।(1)/07, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

2- समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।

5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।

6- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोशाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।

8. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूं, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।

9- वित्त अनुभाग–2/लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।

10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या 1253/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2006**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे का पुर्नगठन।

महोदय,

योजनागत व्यय, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य मार्गों में वृद्धि, विभिन्न निर्माण के डिपोजिट कार्य तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के अतिरिक्त कार्यों के कारण लोक निर्माण विभाग के वर्तमान खण्डों के लिए प्रतिखण्ड कार्य बढ़ा है। निर्माण कार्यों की इस वृद्धि के अनुरूप विचारोपरान्त राज्य के गठन के उपरान्त शासनादेश सं0 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0–2001 दिनांक 11.07.2001 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे में संशोधन करते हुए प्रथम चरण में तकनीकी ढ़ांचे का निम्नानुसार पुनः पुनर्गठन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1- मुख्य अभियन्ता स्तर–1 पूर्व की भांति उसी वेतन क्रम में विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड होंगे।

2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के दो पद पूर्व की भांति उसी वेतन क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी एवं अल्मोड़ा में बने रहेगें।

3. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में सृजित 12 पदों में 10 पद वृत्तीय कार्यालयों में तथा 02 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय में उसी वेतन क्रम में यथावत रहेंगे।

4. अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0) के पूर्व में सृजित 02 पद उसी वेतन क्रम में यथावत रहेंगे।

5- अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 58 पदों के स्थान पर अब 71 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त 71 पदों में से विभागाध्यक्ष कार्यालय में 06 पद तथा क्षेत्रीय कार्यालय में 01–01 पद यथावत रहेंगे। 47 पूर्व सृजित सिविल खण्डों में वृद्धि करते हुए अब 58 सिविल खण्ड होंगे। इस प्रकार नये सृजित किये जा रहें 11 सिविल खण्ड रूड़की, हरिद्वार देहरादून, बड़कोट, पोखरी, जोशीमठ, सल्ट, कपकोट, काशीपुर में तथा दो खण्डों में से प्रथम खण्ड नियोजन एवं डिजाईन तथा द्वितीय खण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल व इंचार्ज टैस्ट लैब मुख्य अभियन्ता स्तर–1, देहरादून के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुए देहरादून में स्थापित होंगे।

उक्त के अतिरिक्त पूर्व सृजित 03 राष्ट्रीय मार्ग खण्डों में वृद्धि करते हुए अब 05 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड होंगे। नये सृजित किये जा रहें 02 खण्ड क्रमशः अल्मोड़ा तथा पौड़ी में स्थापित होंगे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूड़की को देहरादून में स्थानान्तरित किया जाता हैं।

6- अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0) के पूर्व सृजित 05 पद यथावत रहेंगे। तथापि उक्त 05 पदों के कार्यालय निम्नवत् रहेंगे–

1- वि0/यां0 खण्ड, देहरादून, 2. वि0/यां0 खण्ड, गोपेश्वर, 3. वि0/यां0 खण्ड, नैनीताल,
4. वि0/यां0 खण्ड, पिथौरागढ़, 5. विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून में एक पद।

7- सहायक अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 193 पदों में वृद्धि करते हुए अब 297 पद होंगे। इस प्रकार सहायक अभियन्ता (सिविल) के 104 पद नये सृजित किये जाते है। राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों एवं नोडल सिविल खण्डों के लिए प्रति खण्ड 04 सहायक अभियन्ता के स्थान पर 05 सहायक अभियन्ता तथा अन्य सिविल खण्डों के लिए प्रति खण्ड 03 सहायक अभियन्ता के स्थान पर 04 सहायक अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता सिविल का 01 पद प्रति वृत्त कार्यालय, 02 पद प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय तथा 13 पद विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में पूर्व की भांति रहेंगे।

8- सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) के पूर्व में सृजित 19 पदों में वृद्धि करते हुए अब 26 पद होंगे। इस प्रकार 07 अतिरिक्त पद सृजित किये जा रहें है। उपरोक्त 26 पदों में 04 पद वि0/यां0 खण्ड, गोपेश्वर, 04 पद वि0/यां0 खण्ड, पिथौरागढ़ में, 06 पद वि0/यां0 खण्ड, नैनीताल में, 06 पद वि0/यां0 खण्ड, देहरादून में, 01 पद प्रत्येक वृत्त में, 01 पद अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, देहरादून के कार्यालय में और 01 पद सहायक अभियन्ता विद्युत 02 पद सहायक अभियन्ता यांत्रिक के मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में स्थापित होंगे।

9- कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पूर्व स्वीकृत 664 पदों में वृद्धि करते हुए अब 792 पद होंगे। इस प्रकार 128 पद नये सृजित किये जा रहे है। राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों एवं नोडल सिविल खण्डों के लिए प्रति खण्ड 16 कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थान पर 14 तथा अन्य सिविल खण्डों हेतु पूर्ववत प्रति खण्ड 12 कनिष्ठ अभियन्ताओं का मानक निर्धारित किया जाता हैं।

10- कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यां0) के कुल सृजित 98 पदों, जिनमें 40 पद कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) तथा 58 पद कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के है, को यथावत रखा गया है। उपरोक्त में 06 कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) तथा 06 कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक), प्रति वि0/यां0 खण्ड रखे जायेंगे तथा शेष 50 कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यां0) आवश्यकतानुसार सिविल खण्डों में रखे जायेंगे।

11- कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पूर्व स्वीकृति 81 पदों को यथावत रखा गया है। प्रत्येक सिविल/राष्ट्रीय मार्ग खण्ड में 01 पद, प्रत्येक वृत्तीय कार्यालय में, प्रति जोनल कार्यालय 02 पद तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में 04 पद स्थापित रहेंगे।

12- मानचित्रकार के पूर्व सृजित 77 पद यथावत रहेंगे। प्रत्येक सिविल एवं राष्ट्रीय मार्ग खण्ड में 01 पद प्रत्येक वृत्तीय कार्यालय में 01 पद, प्रति जोनल कार्यालय 01 पद तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में 02 पद स्थापित रहेंगे।

13- विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में वेतनमान रू0 12000–16500 में वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के 01 पद का सृजन किया गया है।

14- भू–वैज्ञानिक के 02 पद वेतनमान रू0 8000–13500 में पूर्व में सृजित है, जो यथावत रहेंगे। उ0प्र0 शासन में भू–वैज्ञानिक के पद का वेतनमान रू0 10000–15200 होने के दृष्टिगत भू–वैज्ञानिक के पूर्व में सृजित इन दो पदों का वेतनमान संशोधित करते हुए रू0 10000–15200 किया जाता हैं।

15- सहायक भू–वैज्ञानिक के 04 पद वेतनमान रू0 8000–13500 में सृजित किये जाते है, जो उत्तराखण्ड के विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्रीय की सीमाओं से जुड़े हुये क्षेत्रों में नियुक्त किये जायेगे। ये पद प्रथमतः प्रतिनियुक्ति से भरे जायेगें तथा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती से लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे।

16- विभाग में बढ़ते हुए विधिक वादों एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विधि अधिकारी के 03 पद वेतनमान रू0 6500–10500 में सृजित किये जाते है, जिनमें 01 पद नैनीताल, 01 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा 01 पद शासन स्तर पर स्थापित रहेगा।

17. विधि सहायक वेतनमान रू0 5000–8000 में पूर्व में सृजित 02 पदों में वृद्धि करते हुए 05 पद सृजित किये जाते है। इस प्रकार 03 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किये जाते है। इनमें 02 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून तथा 01–01 पद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में स्थापित रहेंगे।

18. सर्वेयर के वेतनमान रू0 2750–4400 में 05 पद सृजित किये जाते हैं।

19- कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ के वेतनमान रू0 4500–7000 में 04 पद सृजित किये जाते हैं।

20- प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान रू0 3050–4500 में 04 पद सृजित किये जाते है।

21- कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान रू0 2750–4400 में 03 पद पूर्व से सृजित है। उपरोक्त के स्थान पर 04 पद सृजित किये जाते है। इस प्रकार 01 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किया जाता है।

22- प्रयोगशाला अनुसवेक के वेतनमान रू0 2550–3200 में 04 पद सृजित किये जाते है।

23. उपरोक्त समस्त अतिरिक्त सृजित तकनीकी पदों में सीधी भर्ती के पदों को अभियांत्रिकी विभागों से सेवा स्थानान्तरण द्वारा भरने का प्रयास किया जायेगा तथा पदोन्नति प्रचलित सेवा नियमावलियों के अनुसार ही की जायेगी।

24- 11 जुलाई, 2001 में शासनादेश संख्या 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0/2001 में विभाग द्वारा पूर्व गठित संरचना में इंगित पदों के अतिरिक्त सृजित पद एवं संख्या यथावत रहेंगे।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	18400–22400	01	विभागाध्यक्ष
2	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16400–20000	02	पौड़ी/अल्मोड़ा
3	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12000–16500	12	09–सिविल वृत्त 01–रा0मार्ग वृत्त 02–विभागाध्यक्ष
4	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)	12000–16500	02	02–वि0/यां0 वृत्तों हेतु
5	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	10000–15200	71	58–सिविल खण्ड 05–रा0मा0 खण्ड 02–क्षेत्रीय मुख्यालय 06–विभागाध्यक्ष कार्यालय
6	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	10000–15200	05	04–वि0/यां0 खण्ड 01–विभागाध्यक्ष कार्यालय
7	सहायक अभियन्ता (सिविल)	8000–13500	297	05 प्रति रा0मा0 एवं नोडल खण्ड 18 X 5=90 04 प्रति अन्य सिविल खण्ड 45 X 4=180 01 प्रति सिविल वृत्त 10 X 1=10 02 प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय

				2 X 2=4 विभागाध्यक्ष कार्यालय–13
8	सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	8000–13500	26	04 वि0/यां0 खण्ड 04 X 4=16 01 प्रति वि0/यां0 वृत्त 02 X 1=02 02 अतिरिक्त कार्यभार के कारण नैनीताल एवं देहरादून में 03 X 2=4 विभागाध्यक्ष कार्यालय–03 निर्माण खण्ड देहरादून–01
9	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	5000–8000	792	14 प्रति रा0मा0 एवं नोडल खण्ड 18 X 14= 252 12 प्रति अन्य सिविल खण्ड 45 X 12=540
10	कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यां0)	5000–8000	98	06 कनि0अभि0 विद्युत प्रति वि0/ यां0 खण्ड 04 X 06=24 06 कनिष्ठ अभि0 यांत्रिक प्रति वि0/यां0 खण्ड 04 X 06= 24 50 कनि0अभि0 वि0/यां0 सिविल खण्डों हेतु
11	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	5000–8000	81	01 प्रति खण्ड 01 X 63=63 01 प्रति वृत्त 01 X 10= 10 02 प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 02 X 02= 04 विभागाध्यक्ष कार्यालय–04
12	मानचित्रकार	4000–6000	77	प्रति सिविल खण्ड 63 X 01= 63 01 प्रति वृत्त 10 X 1= 10 01 प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 02 X 01= 02 विभागाध्यक्ष कार्यालय–02
13	वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक	12000–16500	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय–01
14	भू–वैज्ञानिक	10000–15200	02	01–प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 2 X 1= 2

15	सहायक भू–वैज्ञानिक	8000–13500	04	पर्वतीय जनपदों हेतु
16	विधि अधिकारी	6500–10500	03	01–विभागाध्यक्ष कार्यालय 01–नैनीताल उच्च न्यायालय हेतु 01–शासन स्तर पर
17	विधि सहायक	5000–8000	05	01–विभागाध्यक्ष कार्यालय 01–नैनीताल उच्च न्यायालय हेतु 01–पौड़ी/अल्मोड़ा हेतु 2 X 2=02
18	कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ	4500–7000	04	–
19	प्रयोगशाला सहायक	3050–4590	04	–
20	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	2750–4400	04	–
21	सर्वेयर	2750–4400	05	–
22	प्रयोगशाला अनुसेवक	2550–3200	04	–

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)

सचिव

संख्या 1253/III(1)/06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
4- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूं, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा ।
7- वित्त अनुभाग–2/लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)

संयुक्त सचिव

संख्या 64 / सं0 स0 लो0 नि0 वि0 / कैम्प / 2006

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग **देहरादून, दिनांक 04.07.2006**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदो ंके पुर्नगठन से सिविल खण्डों में हुई वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

योजनागत व्यय, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य मार्गों के वित्तीय निर्माण के डिपाजिट कार्य तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के अतिरिक्त कार्यों के कारण लोक निर्माण विभाग के प्रथम चरण में तकनीकी कार्मिकों के संरचनात्मक ढ़ांचे में पुनः पुर्नगठन की आवश्यकता महसूस की गयी थी। तद्क्रम में मा0 मंत्रिमण्डल के विचारार्थ 13 नये खण्डों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें 11 खण्ड सिविल तथा 02 खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। नये सिविल खण्डों में रूड़की, हरिद्वार, देहरादून, बड़कोट, पोखरी, जोशीमठ, सल्ट, कपकोट, काशीपुर व 02 खण्ड जिनमें प्रथम खण्ड नियोजन एवं डिजायन व द्वितीय खण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल व इन्चार्ज टैस्ट लैब मुख्य अभियन्ता स्तर–1, देहरादून के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुए देहरादून में स्थापित करने तथा 02 राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड क्रमशः अल्मोड़ा व पौड़ी में स्थापित व राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड रूड़की को देहरादून में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया हैं।

इसी परिपेक्ष्य में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 13, सहायक अभियन्ता (सिविल) के 104, सहायक अभियन्ता (वि0 / यां0) के 07 तथा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 128 आदि नये पद भी सृजन करने का निर्णय लिया जा चुका है। प्रथम चरण के पुर्नगठन विषयक शासनादेश शीघ्र ही पृथक से जारी किया जा रहा है। परिवर्तित परिस्थितियों में नये खण्डों के सृजन के कारण इन्हें कार्यरूप में परिवर्तित किये जाने के लिए कई औपचारिकताएं पूर्ण करने की आवश्यकता होगी, साथ ही अतिरिक्त पदो ंके सृजन के कारण इन पदों को भरे जाने के लिए यथानियम प्रोन्नति आदि की कार्यवाही भी तत्काल आवश्यक है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया एक सप्ताह के भीतर अर्थात 10 जुलाई 2006 तक निम्नवत् कार्यवाहियों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस संबंध में शासन स्तर पर भी सचिव महोदय, से उनकी अध्य क्षता में विचार–विमर्श किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसकी तिथि आपको पृथक से सूचित की जाएगीः–

1. कार्यालय भवन एवं साज–सज्जा आदि की व्यवस्था।

2. तकनीकी स्टाफ की तैनाती।

3. गैर तकनीकी स्टाफ की तैनाती/समायोजन।

4- दैनन्दिन (Day to Day) कार्यों के लिए वित्तीय प्रबन्धन की व्यवस्था।

5. नये सृजित खण्ड को आवंटित किये जाने वाले कार्यों का विवरण एवं अभिलेखों का नोटीफाइ करना तथा नये व पुराने खण्डों का पुनः सीमांकन।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य बिन्दु जो मुख्य अभियन्ता कार्य निस्तारण के लिए तथा वित्तीय और अधिष्ठान प्रबन्ध के लिए आवश्यक समझते हों। यह भी विचारणीय है कि नये खण्डों की कार्यशील किये जाने के लिए कार्यवाही तत्काल तथा एक निश्चित समय सीमा के भीतर सम्पादित करनी होगी, जिसके लिए एक समय सारणी भी प्रत्येक स्तर के कार्य को हस्तान्तरित करने के लिए तैयार कर ली जाए। तथा कार्मिकों का स्थानान्तरण, अभिलेखों का स्थानान्तरण वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन, खण्डों के बीच में कार्य का विभाजन कार्यालय स्थापना आदि–आदि।

मुख्य रूप से यह भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में निर्माण कार्य प्रभावित न हों और अधिक सुगमता से निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्याः–2324 / III (1) / 05–44(अधि0) / 05
देहरादून, दिनांक–31 जुलाई, 2004

" कार्यालय ज्ञाप "

जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राज–मार्ग के कार्यों के शीघ्रता से सम्पादन हेतु जनहित को ध्यान में रखते हुये एवं इस विषय में पूर्व में पारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निर्माण खण्ड, बड़कोट को राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, बड़कोट के रूप में परिवर्तित किया जाता हैं।

उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
(डा0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्याः– 2324 / III(1) / 05तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल ,नैनीताल।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, पौडी / अल्मोड़ा।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(प्रदीप सिंह रावत)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्याः–1791 / III (1) / 04–75 / 04
देहरादून, दिनांक–31 जुलाई, 2004

" कार्यालय ज्ञाप "

शासन के अग्रिम आदशों तक राष्ट्रीय मार्ग खण्ड काशीपुर का नाम परिवर्तित करते हुये निर्माण खण्ड, काशीपुर तथा वि0 / यां0 खण्ड हल्द्वानी का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, हल्द्वानी किया जाता है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

(एन0 रवि शंकर)
सचिव

संख्याः– 1791 / III(1) / 2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल, पौडी / नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 लोक निर्माण विभाग,पौडी अल्मोड़ा।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. लोक निर्माण विभाग अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या 2054 पी0डब्लू0डी0 / अभि0–2001–190 पी0डब्लू0डी0 / 2001

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग **देहरादून, दिनांक 11 जुलाई, 2001**

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में लोक निर्माण के संरचनात्मक ढ़ांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त राज्य के विशेष भौगोलिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए इस नवगठित राज्य के नवनिर्माण विकास की गति प्रदान करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग की भूमिका अति महत्वूर्ण हो गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु निर्माण सम्पर्क मार्गो का निर्माण उनका रख–रखाव एवं आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण का कार्य मुख्य रूप से सम्पादित किया जाता है। प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थानों को सड़कों, सम्पर्क मार्गों एवं सेतुओं से जोड़ कर प्रदेश के आर्थिक विकास की गति को संवर्ग प्रदान करने के उद्देश्य में लोक निर्माण विभाग के वर्तमान संरचानात्मक ढ़ांचे का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है। अतः विभाग के निम्नानुसार पुनर्गठन हेतु भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1- मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को उसी वेतनक्रम में विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है। विभागाध्यक्ष का मुख्यालय फिलहाल देहरादून में रहेगा।

2. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 का एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाता है, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा होगा। पौड़ी में मुख्य अभियन्ता स्तर–2 का पद पहले से ही सृजित है। अतः अल्मोड़ा एवं पौड़ी में मुख्य अभियन्ता स्तर–2 का क्षेत्रीय कार्यालय पूर्ववत् बने रहेंगे।

3- मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के साथ स्टाफ आफिसर के रूप में अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी को तैनात किया जायेगा।

4- अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 12 पद एवं अधीक्षण अभियन्ता (वि0 / यां0) के 02 पद पूर्व से सृजित है। अधीक्षण अभियन्त (सिविल) के 12 में से 02 पद अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) स्तर से अधिकारी वरिष्ठ स्टाफ आफिसर के रूप में विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात रहेंगे।

5- अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 60 पदों के सापेक्ष 58 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त 58 पदों में से 50 पद 50 सिविल खण्डों (राजधानी में बढ़े हुए भवनों के कार्यों के लिये एक अतिरिक्त खण्ड सहित), 2 अधिशासी अभियन्ता जोनल मुख्यालयों पर मुख्य अभियन्ता स्तर–2, के स्टाफ आफिसर के रूप में तथा 06 अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष के कार्यालय में तैनात रहेंगे। अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) के कुल 05 पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से चार अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0), वि0 / यां0 खण्डों में तैनात रहेंगे तथा एक अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात किया जायेगा।

6- राजधानी में बढ़े हुए निर्माण कार्य के लिये एक अतिरिक्त सिविल खण्ड सृजित किया जा रहा है जिसके लिये अधिशासी अभियन्ता (सिविल) का पद उक्त 58 पदों में सम्मिलित हैं।

7- राष्ट्रीय मार्ग खण्डों एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय मार्ग वृत्त सृजित किया जाता है परन्तु इस हेतु कोई नया पद सृजित न करके जहरीखाल (पौड़ी गढ़वाल) के 63वें वृत्त को राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त के रूप में देहरादून में स्थापित किया जाता है। जहरीखाल वृत्त के अन्तर्गत कार्यरत तीन खण्डों के पर्यवेक्षण का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, 36वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा किया जायेगा। देहरादून में स्थापित यह राष्ट्रीय मार्ग वृत्त क्रमशः रूड़की, काशीपुर एवं उत्तरकाशी राष्ट्रीय मार्ग खण्डों का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा। विभाग में पूर्व से कार्यरत शेष सिविल के नौ तथा वि0/यां0 के दो वृत्त तथा सिविल के 49 एवं वि0/यां0 के चार खण्ड यथावत् कार्य करते रहेंगे।

8- राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों एवं जोनल सिविल खण्डों के लिये प्रति चार सहयक अभियन्ता तथा अन्य सिविल खण्डों के लिये प्रति खण्ड चार के स्थान पर तीन सहायक अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है।

9- राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जोनल सिविल खण्ड में 16 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड का मानक एवं शेष खण्डों में 14 से 16 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड के मानक के स्थान पर 12 अवर अभियन्ता प्रतिखण्ड का मानक निर्धारित किया जाता है। वि0/यां0 खण्ड हेतु प्रति खण्ड 12 अवर अभियन्ता तथा प्रति सिविल खण्ड में एक वि0/यां0 अपर अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है।

10- विभाग में वित्तीय अनुशासन एवं नियंत्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून में वित्त नियंत्रक का एक पद सृजित किया जाता है। यह पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से भरा जायेगा। इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता, वि0/यां0 के तीन, अवर अभियन्ता वि0/यां0 के 12 अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के पांच मानचित्रकार के 15, रेखाकार के दो कार्यालय अधीक्षक के 09, मुख्य लिपिक का एक, वैयक्तिक सहायक/आशुलिपि के 12, सहायक लेखाधिकारी का एक, लेखाकार के दो, सहायक लेखाकार के 05, सहायक वास्तुविद के दो, भू–वैज्ञानिक का एक, अमीन के 69, दफ्तरी के 05, जीप/कार चालक के 17, खण्डीय लेखाकार के एक पद का भी सृजन किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् उल्लिखित है।

11- सहायक शोध अधिकारी, भण्डार अभिरक्षक, वाटर मैन, नील, मुद्रक, नायब तहसीलदार, सुपर वाइजर कानूनगों के संवर्ग मृत घोषित किये जाते।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पुनर्गठन के पश्चात् स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	18400–22400	01	विभागाध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक	वित्त/लेखा संवर्ग	01	मुख्यालय पर
3	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16400–20000	02	पौड़ी/अल्मोड़ा
4	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12000–16500	12	1– वृत्त मुख्यालय–1 2– विभागाध्यक्ष मुख्यालय पर दो पद

5	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)	12000–16500	02	02–वि0/यां0 वृत्तों हेतु
6	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	10000–15200	58	1–सिविल खण्ड मुख्यालय हेतु–47 2–रा0मा0 खण्ड–03 3–जोनल मुख्यालय–02 4–विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर–1) मुख्यालय–06 पद
7	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	10000–15200	05	1–वि0/यां0 खण्ड मुख्यालय–04 2–विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर–1) मुख्यालय–01 पद

8	सहायक अभियन्ता (सिविल)	8000–13500	193	1– रा0मा0 एवं नोडल खण्ड–4 प्रति खण्ड 16 X 4=64 2– अन्य सिविल खण्ड 3 प्रति खण्ड 34 X 3=102 पद 3– सिविल वृत्त में एक सहायक अभियन्ता प्रति वृत्त 10 X 1=10 4– जोनल मुख्यालय प्रति जोन–2 पद 2 X 2=4 5– विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर–1) मुख्यालय पर 13
9	सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	8000–13500	19	1–वि0/यां0 खण्ड में 4 सहायक अभियन्ता प्रति खण्ड 04 X 4=16 2– विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर–1) मुख्यालय–03
10	अवर अभियन्ता (सिविल)	4500–7000	664	1–रा0मा0 एवं नोडल खण्ड 16 प्रति खण्ड 16 X 16= 256 2– अन्य सिविल खण्ड 12 प्रति खण्ड 34 X 12=408 पद
11	अवर अभियन्ता (वि0/यां0)	4500–7000	1– विद्युत – 40 2– यांत्रिक– 58 कुल 98	1– वि0/यां0 खण्ड प्रति खण्ड–12 2– सिविल खण्ड–50 प्रति खण्ड–01= 50 पद
12	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	5000–8000	81	1– नोडल सिविल खण्ड हेतु 02 प्रति खण्ड 13 X 2=26 2– अन्य सिविल खण्ड हेतु 01 पद प्रति खण्ड 37 X 1= 37 3– सिविल वृत्त में एक प्रति वृत्त

				= 10 पद 4– विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर–1)–04 पद 5–जोनल मुख्यालय–02 प्रति जोन 02 X 02= 04
13	मानचित्रकार	4000–6000	77	1– सिविल खण्ड हेतु एक प्रति खण्ड 50 X 01= 50 2– सिविल वृत्त हेतु एक प्रति वृत्त= 10 3– जोनल मुख्यालय एक 2 X 1= 2 4– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 मुख्यालय 15
14	रेखाकार	2550–3200	04	मुख्य अभियन्ता स्तर–1 मुख्यालय पर दो पद तथा जोनल मुख्यालय पर एक प्रति जोन
15	कार्यालय अधीक्षक	5000–8000	11	जोनल मुख्यालय–02 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (विभागाध्यक्ष) मुख्यालय पर 09 पर
16	कार्यालय अधीक्षक	5000–8000	12	वृत्त मुख्यालय पर–12
17	मुख्य लिपिक	4500–7000	54	खण्डीय कार्यालय हेतु 54 1– सिविल खण्ड–50 2– वि0/यां0 खण्ड–4
18	वैयक्तिक सहायक/कन्सोल आपरेटर	6500–10500	1	मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के साथ सम्बद्ध
	वैयक्तिक सहायक/कन्सोल आपरेटर	5500–9000	2	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के साथ सम्बद्ध
	आशुलिपिक /कन्सोल आपरेटर	5000–8000	15	अधीक्षण अभियन्ताओं/वरिष्ठ वास्तुविद के साथ सम्बद्ध
	आशुलिपिक /कन्सोल आपरेटर	4000–6000	65	अधिशासी अभियन्ताओं/वास्तुविद उप निदेशक के साथ सम्बद्ध
19	वरिष्ठ सहायक	4500–7000	178	1– खण्डीय कार्यालय–108 2– वृत्तीय मुख्यालय–36 3– जोनल मुख्यालय–12 4– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 मुख्यालय 22 पर
20	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	522	1– खण्डीय कार्यालय–477 पद

				2– वृत्तीय मुख्यालय–24 3– जोनल मुख्यालय–06 4– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 मुख्यालय 15
21	कनिष्ठ लिपिक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	465	1– खण्डीय कार्यालय–324 2– वृत्त मुख्यालय–84 3– जोनल मुख्यालय–20 4– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 मुख्यालय 37

22	सहायक लेखा अधिकारी	लेखा संवर्ग	01	विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता स्तर–1 मुख्यालय–01
23	लेखाकार	लेखा संवर्ग	03	––तदैव––
24	सहायक लेखाकार	4000–6000	05	––तदैव––
25	वरिष्ठ वास्तुविद	12000–16500	01	––तदैव––
26	वास्तुविद	10000–15200	01	––तदैव––
27	सहायक वास्तुविद	8000–13500	02	––तदैव––
28	उप निदेशक अन्वेशण	10000–15200	01	––तदैव––
29	भू–वैज्ञानिक	8000–13500	02	प्रति जोनल कार्यालय हेतु एक
30	विधि सहायक	5000–8000	02	विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता स्तर–1 मुख्यालय
31	अमीन		100	50 X 2 (सिविल खण्ड हेतु) 100 पद
32	दफ्तरी		72	1–खण्डीय कार्यालय–54 2–वृत्तीय कार्यायल–12 3– जोनल मुख्यालय–2 4– मु0अभि0 (स्तर–1)= 04 पद
33	चपरासी	2550–3200	289	1– खण्डीय कार्यालय 54 X4= 216 2– वृत्तीय कार्यालय 12 X 3= 36 3– जोनल मुख्या 02 X 4= 08 4– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (विभागाध्यक्ष कार्यालय)= 29
34	जीप /कार चालक	3050–4590	137	1– खण्डीय कार्या0 54 X 2= 108 2–वृत्तीय कार्या0 12 X 1= 12 3– जोनल मुख्यालय 02 X 2= 4 4– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 कार्यालय में 13
35	डाक रनर	2550–3200	10	मुख्य अभियन्ता स्तर–1 कार्यालय में–10
36	खण्डीय लेखाकार	विभाग के अधिष्ठान व्यय पर ए0 जी0 द्वारा तैनाती की जाती है		

निम्नलिखित संवर्गो को मृत घोषित करते हुए उनके सम्मुख अंकित रिक्त पदों को समाप्त किया जाता हैः–

1	भण्डार अभिरक्षक	28 पद
2	नायब तहसीलदार	02 पद
3	सुपरवाइजर कानूनगों	02 पद
4	नील मुद्रक	49 पद
5	सहायक शोध अधिकारी	01 पद
6	वाटर मैन	67 पद

भवदीय

(एन0एन0 नपलच्याल)
सचिव

संख्या 2054 पी0डब्लू0डी0/अभि0–2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, इलाहाबाद (उ0प्र0)।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूं, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून तथा कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(एन0एन0 नपलच्याल)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग
संख्याः 1809/XI/56(22)/2012
देहरादूनः दिनांक 30 अगस्त 2012

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्ववयन हेतु अतिरिक्त कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के गठन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता के क्रमशः सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 14.06.12 एवं 26.07.12 में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में क्रमशः जारी कार्यवृत्त सं0 1115/12/XI/56(22)/2012 दिनांक 22.06.12 एवं कार्यवृत्त सं0 59/नि0स0/प्र0स0मु0म0/2012 दिनांक 09.08.12 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग द्वारा पांच5–पांच एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा दो अतिरिक्त खण्ड, ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराये जाने के क्रम में इन 12 अतिरिक्त खण्डों को पूर्व में योजनान्तर्गत कार्यरत 17 खण्डों के साथ सम्मिलित करते हुए कुल 29 समर्पित खण्डों का विकासखण्डवार कार्यभार विभाजन एवं मुख्यालय एतद्द्वारा निम्न तालिकानुसार निर्धारित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	जनपद	विभाग का नाम	खण्ड का नाम		प्रस्तावित मुख्यालय	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
			वर्तमान खण्ड का नाम	प्रस्तावित खण्ड का नाम			
1	उत्तराकशी	सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़ भटवाड़ी	पूर्व से कार्यरत
2		सिंचाई विभाग	मनेरीभाली सुंग, निर्माण खण्ड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला	पुरोला	भोरी पुरोला नौंगाव	नवगठित खण्ड
3	चमोली	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रा0अभि0 सेवा प्रखण्ड (लो0नि0वि0) कर्णप्रयाग–1	पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रा0अभि0 सेवा प्रखण्ड (लो0नि0वि0) कर्णप्रयाग–1	कर्णप्रयाग	थराली देवाल नरायणबगड़	पूर्व से कार्यरत
4		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	अस्थाई प्रखण्ड घनसाली	पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रा0अभि0 सेवा प्रखण्ड कर्णप्रयाग–2	कर्णप्रयाग	गैरसैड़ कर्णप्रयाग घाट	नवगठित खण्ड
5		लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड (लो0नि0वि0) पोखरी	पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड (लो0नि0वि0) पोखरी	पोखरी	पोखरी दशोली जोशीमठ	पूर्व से कार्यरत

6	रूद्रप्रयाग	सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) रूद्रप्रयाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ अग्रस्तमुनि (आंशिक)	पूर्व से कार्यरत
7		सिंचाई विभाग	सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड, प्रथम डाकपत्थर (देहरादून)	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड जखोली	जखोली	जखोली अग्रस्तमुनि (आंशिक)	नवगठित
8	टिहरी	सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) टिहरी–1	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) टिहरी–1	नई टिहरी	भिलंगना थौलदार जाखनीधार	पूर्व से कार्यरत
9		सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) टिहरी–2	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0) टिहरी–2	नई टिहरी	प्रतापनगर जौनपुर चम्बा	पूर्व से कार्यरत
10		लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड टिहरी	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड (लो0नि0वि0) नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर देवप्रयाग कीर्तिनगर	नवगठित खण्ड
11	देहरादून	लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड, (लो0नि0वि0) हरिद्वार कालसी	पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड, (लो0नि0वि0) हरिद्वार कालसी	कालसी	चकराता कालसी	पूर्व से कार्यरत
		सिंचाई विभाग	परीक्षण एवं नियन्त्रण खण्ड, डाकपत्थर देहरादून	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून	देहरादून	विकासनगर सहसपुर रायपुर डोईवाला	नवगठित खण्ड
12	हरिद्वार	सिंचाई विभाग	परीक्षण एवं नियन्त्रण खण्ड	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून	देहरादून	रूड़की नारसन भगवानपुर बहादराबाद लक्सर खानपुर	नवगठित खण्ड
13		सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) कोटद्वार	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) कोटद्वार	कोटद्वार	यमकेशवर द्वारीखाल रिखणीखाल दुगड्डा	पूर्व से कार्यरत

14	पौड़ी	सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) श्रीनगर	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) श्रीनगर	श्रीनगर	पौड़ी खिर्सू कोट पाबौ थैलीसैण (आंशिक)	पूर्व से कार्यरत
15		लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कोटद्वार	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, (लो0नि0वि0) सतपुली	सतपुली	जहरीखाल एकेश्वर पोखरा कल्जीखाल	नवगठित खण्ड
16		सिंचाई विभाग	किशाऊ बांध निर्माण खण्ड प्रथम, डाकपत्थर (देहरादून)	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बैजरों	बैजरों	बीरोंखाल नैनीडाण्डा थैलीसैंण (आंशिक)	नवगठित खण्ड
17	पिथौरागढ़	सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) पिथौरागढ़	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	कनालीछिना मूनाकोट धारचूला	पूर्व से कार्यरत
18		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड (लो0नि0वि0) डीडीहाट	पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड (लो0नि0वि0) डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट बेरीनाग मुन्स्यारी	पूर्व से कार्यरत
19		लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, पिथौरागढ़	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, (लो0नि0वि0) पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट बिन	नवगठित खण्ड
20	चम्पावत	सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पावत	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पावत	चम्पावत	लोहाघाट चम्पावत	पूर्व से कार्यरत
21		सिंचाई विभाग	सिविल निर्माण खण्ड द्वितीय ढालीपुर (देहरादून)	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट पाटी	नवगठित खण्ड

22	नैनीताल	सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) नैनीताल	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) नैनीताल	ज्योलीकोट	भीमताल	पूर्व से कार्यरत
						बेतालघाट	
						कोटाबाग	
		लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, नैनीताल	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, (लो0नि0वि0) नैनीताल	काठगोदाम	हल्द्वानी	नवगठित खण्ड
						रामनगर	
						धारी	
						ओखलकाण्डा	
						रामगढ़	
23	ऊधमसिंहनगर	लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, नैनीताल	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, (लो0नि0वि0) नैनीताल	काठगोदाम	जसपुर	नवगठित खण्ड
						काशीपुर	
						बाजपुर	
						रूद्रपुर	
						सितारगंज	
						खटीमा	
24	अल्मोड़ा	सिंचाई विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) अल्मोड़ा	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	पूर्व से कार्यरत
						धौलादेवी	
						लमगड़ा	
25		लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड, (लो0नि0वि0) सल्ट	पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड, (लो0नि0वि0) सल्ट	सल्ट	सल्ट	पूर्व से कार्यरत
						स्याल्दे	
26	बागेश्वर	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	ग्रा0अ0से0 अस्थाई प्रखण्ड भिक्यासैण	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड (ग्रा0अभि0सेवा) द्व ाराहाट	द्वाराहाट	भिकियासैण	नवगठित खण्ड
						चौखुटिया	
						द्वाराहाट	
27		लोक निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, अल्मोड़ा	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, (लो0नि0वि0) अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	ताकूला	नवगठित खण्ड
						हवालबाग	
						ताड़ीखेत	
28		सिंचाई विभाग	सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) बागश्वेर	सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) बागश्वेर	बागश्वेर	बागश्वेर	पूर्व से कार्यरत
						गरूड़	
29		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड ग्रा0 अभि0 सेवा (लो0नि0वि0) कपकोट	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड ग्रा0 अभि0 सेवा (लो0नि0वि0) कपकोट	कपकोट	कपकोट	पूर्व से कार्यरत

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)
सचिव

ग्राम्य विकास विभाग

संख्याः 1809 / XI / 56(22) / 2012 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजि सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी / मंत्री जी, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड सरकार, विधान सभा, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4- प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5- प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं, पौड़ी / नैनीताल।
8. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
9- सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11- सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13- अपर सचिव / मुख्य समन्वयक (पीएमजीएसवाई0) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
14. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
15. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
16. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
17. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, देहरादून।
18. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमाऊं क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / अल्मोड़ा।
19. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
20. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, श्रीनगर / ज्योलीकोट।
21- समस्त अधिशासी अभियन्ता / पी0आई0यू0 पीएमजीएसवाई0, उत्तराखण्ड।
22- समस्त नवगठित उपरोक्तानुसार अधिशासी अभियन्ता (पीएमजीएसवाई0) उत्तराखण्ड।
23. महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, राजपुर रोड़, देहरादून।
24. गाई फाईल।

(एस0सी0 बड़ोनी)
अपर सचिव
ग्राम्य विकास विभाग

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग
संख्याः 2441/XI/2012/56(22)/2012
देहरादूनः दिनांक 06 दिसम्बर 2012

''कार्यालय ज्ञाप''

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 759/।।।(1)/12–70(अधिष्ठान)/05(लो0नि0अनु0–1) दि0 09 अगस्त 2012 के द्वारा प्रधान ग्राम सड़क योजना के कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण एवं त्वरित गति से कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु अन्य पदों के साथ मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (पी0एम0जी0एस0वाई0) का एक निःसंवर्गीय पद सृजित किया गया है। इस प्रकार पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों के कियान्वयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अधीन दो मुख्य अभियन्ता कार्यरत हैः– मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (पी0एम0जी0एस0वाई0)। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कियान्वयन हेतु उक्त दोनों मुख्य अभियन्ताओं के मध्य एतद्द्वारा निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है–

मुख्य अभियन्ता, (यू0आर0आर0डी0ए0)	**मुख्य अभियन्ता स्तर–2, (पी0एम0जी0एस0वाई0)**
1– बजट से सम्बन्धित कार्य। 2– प्लानिंग से सम्बन्धित कार्य। 3– गुणवत्ता नियन्त्रण से सम्बन्धित कार्य। 4– एन0आर0आर0डी0ए0, विश्व बैंक, ए0डी0बी0 एवं अन्य वाह्य संस्थाओं के साथ को ऑर्डिनेशन। 5– पी0एम0यू0 के साथ टेण्डर निस्तारण में सहयोग। 6– राज्य सरकार के साथ को ऑर्डिनेशन। 7– शासन द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य।	1– समस्त वृत्त, खण्ड, एवं समस्त सम्बन्धित अधीनस्थ क्षेत्री कार्यालय सीधे नियंत्रण में। 2– फील्ड स्तर के समस्त वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सीधे नियंत्रण में। 3– फील्ड स्तर के प्रथम एवं द्वितीय स्तर की गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित कार्य। 4– निर्माण कार्यों की डी0पी0आर0 तैयार कराकर एवं एस0टी0ए0 से चेक कराकर यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित किये जाने से सम्बन्धित कार्य। 5– OMMAS में पी0आई0यू0 स्तर तक की डाटा एन्ट्री एवं अनुश्रवण तथा समस्त कार्यों की (प्रगति वित्तीय/भौतिक) को पूर्ण करवाना। 6– प्रोजेक्ट मैनेजमैंट यूनिट (पी0एम0यू0) सीधे नियंत्रण में, जो कि टेण्डर लगवाकर अनुबन्ध बनवाने तथा उसके बाद उन कार्यों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होंगे। 7– Contract Management से सम्बन्धित कार्य। 8– शासन द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य।

उक्त दोनों मुख्य अभियन्ता, सचिव/सी0ई0ओ0 ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्य करेंगे तथा शासन को रिपोर्टिंग करेंगे।

भवदीय
(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः 2441 / XI / 2012 / 56(22) / 2012 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, (पी0एम0जी0एस0वाई0) उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड।
8. गॉर्ड फाईल।

आज्ञा से
(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः– 1427 / III(1) / 12–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01टी0सी0–IV

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 01 जनवरी, 2013**

विषय– लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–834 / III(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–II दिनांक–06.10.06 शासनादेश संख्या–753 / III(1) / 10–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–IV, दिनांक–2.05.10 एंव शासनादेश संख्या–259 / III(1) / 12–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–प्ट दिनांक 06.07.12 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं गैर तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन करते हुए संशोधित किया गया था। शासनादेश संख्या–1768 / III (1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01, दिनांक 12.12.11 के द्वारा तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे को पुर्नगठन किया गया। तकनीकी संवर्ग में पदों के संशोधित पुर्नगठन के फलस्वरूप तद्नुसार अतिरिक्त रूप से सृजित क्षेत्रीय कार्यालय, वृत्तीय कार्यालय एंव खण्डीय कार्यालय में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य गैर तकनीकी संवर्ग के पदों के सजृन हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर –1, लो0नि0वि0 के पत्र संख्या–1809 / 03व्यक–सा / 2010, दिनांक 12.12.11 के द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. अतः शासन को उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–1768 / III(1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01, दिनांक–12.12.2011 के द्वारा तकनीकी संवर्ग में संशोधित पुर्नगठन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–834 / III(1)06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–2, दिनांक 06.10.06, शासनादेश संख्या–753 / III (1) / 10–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01टी0सी0–01 टी0सी0–4, दिनांक 02.06.10 एवं शासनादेश संख्या–259 / III(1) / 12–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0– IV, दिनांक 06.07.12 के द्वारा सृजित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों एंव गैर तकनीकी पदो के अतिरिक्त नवीन क्षेत्रीय कार्यालय, वृत्तीय कार्यालय एवं खण्डीय कार्यालय हेतु मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य गैर तकनीकी संवर्ग में उक्त पूर्व शासनादेशों में सृजित पदों के अतिरिक्त कुल 151 (लिपिक वर्गीय कर्मचारी, वैयक्तिक सहायक संवर्ग एंव लेखा संवर्ग) संवर्गीय पद निम्न तालिका के कॉलम–5 में अंकित विवराणानुसार पुर्नगठन / सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

मुख्य अभियन्ता/जोनल कार्यालय संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	`9300–34800 ग्रेड पे `4600	03	01	04
2	प्रशासनिक अधिकारी	`9300–34800 ग्रेड पे `4200	22	02	24
3	मुख्य सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `2800	22	03	25
4	प्रवर सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `2400	36	07	43
5	कनिष्ठ सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `1900	39	06	45
		योग–	**122**	**19**	**141**

वैयक्तिक सहायक संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वैयक्तिक अधिकारी	` 9300–34800 ग्रेड पे `4600	04	01	05
2	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	`9300–34800 ग्रेड पे `4200	–	03	03
3	वैयक्तिक सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `2800	–	01	01
		योग–	**04**	**05**	**09**

लेखा संवर्ग–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	लेखाकार	` 9300–34800 ग्रेड पें `4200	03	02	05
2	सहायक लेखाकार	`5200–20200 ग्रेड पे `2800	05	04 जोनल हेतु	09
		योग–	**08**	**06**	**14**

<u>वृत्तीय संवर्गः–</u>

क0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे `4600	12	—	12
2	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे `4200	22	04	26
3	मुख्य सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `2800	30	04	34
4	प्रवर सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `2400	50	08	58
5	कनिष्ठ सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `1900	54	08	62
		योग–	**168**	**24**	**192**

<u>वैयक्तिक सहायक संवर्ग–</u>

क0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800 ग्रेड पे `4200	04	05	09
2	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड पे `2800	—	—	—
		योग–	**04**	**05**	**09**

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	`9300–34800 ग्रेड पे `4600	70	–	70
2	प्रशासनिक अधिकारी	`9300–34800 ग्रेड पे `4200	124	15	139
3	मुख्य सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `2800	175	14	189
4	प्रवर सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे 2400	291	24	315
5	कनिष्ठ सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `1900	311	25	336
		योग–	**971**	**78**	**1049**

<u>वैयक्तिक सहायक संवर्ग–</u>

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	वैयक्तिक अधिकारी	`9300–34800 ग्रेड पे `4600	10	–	10
2	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	`9300–34800 ग्रेड पे `4200	24	–	24
3	वैयक्तिक सहायक	`5200–20200 ग्रेड पे `2800	33	14	47
		योग	**67**	**14**	**81**

चालक संवर्ग

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	कार/जीप चालक ग्रेड–1	`9300–34800 ग्रेड पे `4200	06	–	06
2	कार/जीप चालक ग्रेड–2	`5200–20200 ग्रेड पे `2800	33	–	33
3	कार/जीप चालक ग्रेड–3	`5200–20200 ग्रेड पे `2400	34	–	34
4	कार/जीप चालक ग्रेड–4	`5200–20200 ग्रेड पे `1900	39	24 आउट सोर्सिंग से	63
		योग–	**112**	**24**	**136**

3. यदि विभाग द्वारा वाहन किराये पर लिया जाता है, तब 24 पदों के सापेक्ष चालक को आउट सोर्सिंग से लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशन एवं 051–निर्माण–03– विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगाा।
5. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–123/XXVII–7/11, दिनांक 19 नवंबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,
(डा0 एस0एस0 संधू)
सचिव

संख्याः 1427/III(1)/12–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, टी0सी0–IV तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0।
9- वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10- लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

संख्या : 259 / III(1) / 12–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01टी0सी0–04

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 06 जुलाई 2012**

विषय– वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आधार पर लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिक संवर्ग का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, के उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2054 / III(1) / 06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01, दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या–834 / III(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01, दिनांकः–06.10.06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अन्य पदों के साथ–साथ आशुलिपिक संवर्ग का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया था।

2. उपरोक्त के संबन्ध में यह अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–875 / XXVII (7)न0प्रति0 / 11, दिनांक 08.03.11 के द्वारा वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आधार पर राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अफसर उपलब्ध करायें जाने हेतु पूर्व में गठित आशुलिपिक संवर्ग के विद्यमान चार स्तरीय संवर्गीय ढांचे के स्थान पद पदों को 50:35:15: के अनुपात में विभाजित करते हुए त्रिस्तरीय ढांचा रखा गया है।

3. कार्मिक विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–963 / XXX(2) / 11, दिनांकः–25.07.11 के द्वारा वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दि0ः–08.03.11 के क्रम में आशुलिपिक संवर्ग के त्रिस्तरीय ढांचे के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग के पदनामों में परिवर्तित करके निम्न प्रकार से पदनाम प्रतिस्थापित किये गये हैः–

क0सं0	वर्तमान पदनाम	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार वेतनमान	प्रतिस्थापित पदनाम
1	आशुलिपिक	वेतन बैण्ड `5200–20200 ग्रेड वेतन `2800 / –	वैयक्तिक सहायक
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड `9300–34800 ग्रेड वेतन `4200 / –	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड `9300–34800 ग्रेड वेतन `4600 / –	वैयक्तिक अधिकारी

4. अतः इस संबंध में आपके पत्र सं0–1280/82व्यग–अधि0/2011, दिनांकः–02.09.11 एवं पत्र संख्या–94/82व्यग–अधि0/2011, दिनांक–16.03.12 जिसके द्वारा शासन के उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में पुनः आशुलिपिक संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे में पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिक संवर्ग के पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। अतः शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव के विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिं0–25.07.11 एवं वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दि0–08.03.11 के 'दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत ही चार स्तरीय संवर्गीय ढांचे के स्थान पर 50:35:15 के अनुपात में विभाजित करते हुये निम्न प्रकार से त्रिस्तरीय ढांचा स्वीकृत करने की तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

<u>विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता संवर्गः–</u>

क0 सं0	पदनाम	पूर्व में कुल सृजित पदों की सं0	निर्धारित अनुपात के अनुसार पदों का विभाजन	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार संशोधित पद	शैक्षिक अर्हता/ भर्ती की विधि
1	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन `2800	18	18×50%= 09	09	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उर्त्तीण होना अनिवार्य आर्हता होगी)।
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन `4200		18×35%= 06	06	यह पद द्वितीय स्तर के होगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले वैयक्तिक सहायक के पद धारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3.	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान `9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600		18×15%= 03	03	यह पद तृतीय स्तर के होगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोडतें हुये न्यूनतम 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद धारकों, जिनकें द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हों, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
	योग–	**18**		**18**	

वृत्तीय संवर्गः–

क्र0 सं0	पदनाम	पूर्व में कुल सृजित पदों की सं0	निर्धारित अनुपात के अनुसार पदों का विभाजन	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार संशोधित पद	शैक्षिक अर्हता / भर्ती की विधि
1	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन `2800	12	12×50%= 06	06	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उर्त्तीण होना अनिवार्य आर्हता होगी)।
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन `4200		12×35%= 04	04	यह पद द्वितीय स्तर के होगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की सन्तोषजनक वाले वैयक्तिक सहायक के पद धारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3.	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान `9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600		12×15%= 02	02	यह पद तृतीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़तें हुये न्यूनतम 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद धारकों, जिनकें द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
	योग–	**12**		**12**	

खण्डीय संवर्गः–

क0 सं0	पदनाम	पूर्व में कुल सृजित पदों की सं0	निर्धारित अनुपात के अनुसार पदों का विभाजन	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार संशोधित पद	शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि
1	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन `2800	67	67×50%= 34	34	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उर्त्तीण होना अनिवार्य आर्हता होगी)।
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन `4200		67×35%= 23	23	यह पद द्वितीय स्तर के होगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले वैयक्तिक सहायक के पद धारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3.	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान `9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600		67×15%= 10	10	यह पद तृतीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़तें हुये न्यूनतम 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद धारकों, जिनकें द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
	योग–	**67**		**67**	

5. उपरोक्त त्रिस्तरीय ढांचा बनाये जाने पर सम्बन्धित ग्रेड वेतन में निर्धारित पदों से अधिक कार्मिक नहीं होंगे।
6. शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश सं0–2054/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक–11.07.01 एवं शासनादेश सं0–834/III(1)/06– 190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक–06.10.06 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्याः 259/III(1)/12–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 टी0सी0–04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9- लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–963 / XXX(2) / 2011
देहरादूनः दिनांकः 25 जुलाई, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से वित्त विभाग के शासनादेश सं0–875 / XXXVii(7)न0प्रति0 / 2011 दिनांक 8 मार्च 2011 में निर्धारित राज्य स्तरीय त्रिस्तरीय वेतनमान ढांचे के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग मे निम्नांकित पदनामों में परिवर्तन करके उनके सम्मुख अंकित पदनामों को प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	वर्तमान पदनाम	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार वेतनमान	प्रतिस्थापित पदनाम
1	आशुलिपिक	वेतन बैण्ड `5200–20200 ग्रेड वेतनं `2800 / –	वैयक्तिक सहायक
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड `9300–34800 ग्रेड वेतन `4200 / –	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड `9300–34800 ग्रेड वेतन `4600 / –	वैयक्तिक अधिकारी

2. पदनाम परिवर्तन के उक्त निर्णय के फलस्वरूप सम्बधित पदधारकों के कार्य की प्रकृति तथा उनके वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
3. कृपया आशुलिपिक संवर्ग में वर्तमान पदनामों को उपरोक्तानुसार परिवर्तित करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमों में पद्नुसार परिवर्तन कर लिया जाय।

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः– 963 / XXX(2) / 2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव / अपर सचिव स्वतंत्र प्रभार, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव ,मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त / विभागाध्यक्ष, / कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव

संख्याः 108 / XXVII(7) / 2006

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 **देहरादूनः दिनांकः 03 जुलाई, 2006**

विषयः– प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुर्नगठन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियॉ पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढ़ांचे के पदो के पदनाम, वेतनमान, भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, भर्ती की प्रकिया आदि के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैंः–

राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों सहित प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों को निम्नानुसार 4 ग्रेडों में रखा जायः–

क्र0स0	ग्रेड / पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पदों का प्रतिशत	भर्ती की विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4500	35	वाहन चालक ग्रेड–4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000	30	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी, जिन्होंने 9 वर्ष के संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3–	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000	30	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पद्धारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड IV की सेवा को जोडते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4–	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–8000	5	वाहन चालक ग्रेड–1 पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे चालक ग्रेड–2 पद्धारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–2 के पद पर 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

1. वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 के पद एंव वाहन ग्रेड–3 से चालक ग्रेड–2 के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम संलग्नक के होगा।

2- उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश शासन के अधीन सभी विभागों में वाहन चालक के प्रत्येक संवर्ग में अलग–अलग रखी जाये, परन्तु शासन के एक ही विभाग के नियंत्रणाधीन किन्हीं कार्यालयों में वाहन चालकों के पदों की संख्या कम होने की दशा में पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उददेश्य से विभिन्न कार्यालयों के वाहन चालकों का एकीकृत संवर्ग बनाया जा सकेगा।

3- कुछ अधिष्ठानों/विभागों, जहां वाहन चालक के कम संख्या में पद उपलब्ध हैं, वहां पर निम्नानुसार प्रतिशत के आधार पर विभाजन में कठिनाई हो सकती हैं। इसे देखते हुए उचित होगा कि विभागों में वाहन चालकों के पदों की संख्या 10 से कम हैं, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन विभिन्न ग्रेड़ो में निम्नानुसार किया जाय–

क्र0 सं0	वाहन चालकों की सं0	पुर्नगठन के फलस्वरूप पदों की संख्या			
		वाहन चालक ग्रेड–4 ` 3050–4590	वाहन चालक ग्रेड–3 ` 4000–6000	वाहन चालक ग्रेड–2 ` 4500–7000	वाहन चालक ग्रेड–1 ` 5000–8000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1–	1	1	–	–	–
2–	2	1	1	–	–
3–	3	1	1	1	–
4–	4	1	1	1	1
5–	5	2	1	1	1
6–	6	2	2	1	1
7–	7	2	2	2	1
8–	8	3	2	2	1
9–	9	3	3	2	1

4. उपरोक्तानुसार स्वीकृत ग्रेड/वेतनमान में वर्तमान वाहन चालकों के समायोजन/पदोन्नति की प्रक्रिया नियमानुसार होगी–

(क) सम्बन्धित पद्धारक वर्तमान में जो वेतनमान प्राप्त कर रहा है वह तद्नुसार उसी ग्रेड में समायोजित हो जायेगा। उदाहरणार्थ– यदि किसी विभाग में कोई वाहन चालक वर्तमान में ` 4000–6000 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहा हैं तो उसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा और यदि वाहन चालक वर्तमान में ` 4500–7000 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहा हैं तो उसे वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा।

(ख) राज्य सम्पत्ति विभाग में यदि मोटर मैकेनिक पद ` 3200–4900 के वेतनमान में हैं। इन पद्धारकों की यदि वह वेतनमान ` 3200–4900 अथवा वैयक्तिक वेतनमान ` 4000–6000 में कार्यरत है तो उन्हें वाहन चालक ग्रेड–3 में समायोजित किया जाय तथा चालक ग्रेड–2 में समायोजित कर दिया जाय।

(ग) उपरोक्तानुसार वर्तमान वाहन चालकों को विभिन्न ग्रेड्स में समायोजित करने के बाद यदि ग्रेड–3, ग्रेड–2 व ग्रेड–1 में निर्धारित विभाजन के सापेक्ष पद रिक्त रह जाते है तो उन्हें पदोन्नति की उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए भरा जाए। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त समायोजन के फलस्वरूप यदि किसी ग्रेड में पद्धारकों की संख्या निर्धारित विभाजन से आगणित पदों की संख्या से अधिक हो जाती हैं तो अधिक पद्धारकों द्वारा किसी कारणवश पद रिक्त किये जाने की दशा में वह पद आनुपातिक विभाजन के अनुसार ही सम्बन्धित ग्रेड में समायोजित हो जायेंगे।

(घ) उपरोक्तानुसार उच्च वेतनमान के पदों के विरूद्ध कर्मचारियों के समायोजन अथवा पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

5. वाहन चालक के ऐसे पद्धारक जिनका उपरोक्तानुसार समायोजन ग्रेड–3, ग्रेड–2 तथा ग्रेड–1 के पदों के सापेक्ष होता हैं, उनका सम्बन्धित ग्रेड के वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम सग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22ए (1) के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित ग्रेड में पदोन्नति की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने वाले पद्धारकों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अनुसार होगा।

6- कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त।

<u>आदेश संख्याः– 108/xxvII(7)/2006 तद्दिनांक का संलग्नक</u>

वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 व पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

1- अग्रेंजी के अंको एंव अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो।
(Must be able to read English numerals and figures)

2. यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो।
(Must have good knowledge of traffic regulation)

3. वाहन के संचालन सम्बन्धी साधारण खराबियों को ढूंढ़ने एंव उन्हें ठीक करने में सक्षम हो।
(Must be able to locate faults and sort out minors running repairs)

4. वाहन के लिए पहिए बदलने एंव पहियों के टायर में हवा के सही दबाव को समझने में सक्षम हो।
(Must be able to change wheels and correctly inflate tyres)

5. परीक्षाः– उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षा होगी।
Test:- practical test based on above

वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

1. अग्रेंजी के अंको एंव अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो।
(Must be able to read English numerals and figures.

2. यातायात सम्बन्धी नियमों की गहन जानकारी हो।
(Must have a through knowledge of traffic regulation)

3. पेट्रोल एंव डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली की अच्छी जानकारी हो एंव उनकी साधारण तकनीकी खराबियों को ढूँढ़ने एंव ठीक करने में सक्षम हो।
(Must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects)

4. कारब्यूरेटर, प्लग इत्यादि को साफ करने में सक्षम हो।
(Must be able to clear carburetors plug etc).

5. परीक्षाः– उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षा होगी।

Test:- practical test based on above

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या–1253 / III(1) / 06–190(पी0डब्लू0डी0) / 2001

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 17 जुलाई, 2006**

विषय :– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन ।

महोदय,

योजनागत व्यय, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य मार्गों में वृद्धि, विभिन्न निर्माण के डिपाजिट कार्य तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के अतिरिक्त कार्यों के कारण लोक निर्माण विभाग के वर्तमान खण्डों के लिए प्रति खण्ड कार्य बढ़ा है। निर्माण कार्यों की इस वृद्धि के अनुरूप विचारोपरान्त राज्य के गठन के उपरान्त शासनादेश संख्या–2054 / पी0डब्लू0डी0 / अभि0–2001–190 पी0डब्लू0डी0–2001 दिनांक–11.07.2001 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुए प्रथम चरण में तकनीकी ढ़ांचे का निम्नानुसार पुर्नगठन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 पूर्व की भांति उसी वेतन क्रम में विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड होंगे।

2– मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के दो पद पूर्व की भांति उसी वेतन क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी एवं अल्मोड़ा में बने रहेंगे।

3– अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में सृजित 12 पदों में 10 पद वृत्तीय कार्यालय में तथा दो पद विभागाध्यक्ष कार्यालय में उसी वेतन क्रम में यथावत रहेंगे।

4– अधीक्षण अभियन्ता (वि0 / यां0) के पूर्व में सृजित 02 पद उसी वेतन क्रम में यथावत रहेंगे।

5– अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 58 पदों के स्थान अब 71 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त 71 पदों में से विभागाध्यक्ष कार्यालय में 06 पद क्षेत्रीय कार्यालय में 01–01 पद यथावत रहेंगे। 47 पूर्व सृजित सिविल खण्डों में वृद्धि करते हुए अब 58 सिविल खण्ड होंगे। इस प्रकार नये सृजित किये जा रहे 11 सिविल खण्ड रूड़की, हरिद्वार, देहरादून, बड़कोट, पोखरी, जोशीमठ, सल्ट, कपकोट, काशीपुर में तथा दो खण्डों में से प्रथम खण्ड नियोजन एवं डिजाईन तथा द्वितीय खण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल व इंचार्ज टेस्ट लैब मुख्य अभियन्ता स्तर–। के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुए देहरादून में स्थापित होंगे।

उक्त के अतिरिक्त पूर्व सृजित 03 राष्ट्रीय मार्ग खण्डों में वृद्धि करते हुए अब 05 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड होंगे। नये सृजित किये जा रहे 02 खण्ड क्रमशः अल्मोड़ा तथा पौड़ी में स्थापित होंगे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूड़की को देहरादून में स्थानान्तरित किया जाता है।

6— अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पूर्व सृजित 05 पद यथावत रहेंगे तथापि उक्त 05 पदों में कार्यालय निम्नवत् रहेंगेः—
वि0/यां0 खण्ड, देहरादून, वि0/यां0 खण्ड, गोपेश्वर, वि0/यां0 खण्ड, नैनीताल, वि0/यां0 खण्ड, पिथौरागढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून में 01 पद।

7— सहायक अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 193 पदों में वृद्धि करते हुए अब 297 पद होंगे। इस प्रकार सहायक अभियन्ता (सिविल) के 104 पद नये सृजित किये जाते हैं। रा0मा0 खण्डों एवं नोडल सिविल खण्डों के लिये प्रति खण्ड 04 सहायक अभियन्ता के स्थान पर 05 सहायक अभियन्ता तथा अन्य सिविल खण्डों के लिये प्रति खण्ड 03 सहायक अभियन्ता के स्थान पर 04 सहायक अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) का 01 पद प्रति वृत्तीय कार्यालय, 02 पद प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय तथा 13 पद विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता स्तर—। के कार्यालय में पूर्व की भांति रहेंगे।

8— सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) के पूर्व में सृजित 19 पदों में वृद्धि करते हुए अब 26 पद होंगे। इस प्रकार 07 अतिरिक्त पद सृजित किये जा रहे हैं। उपरोक्त 26 पदों में 04 पद वि0/यां0 खण्ड, गोपेश्वर, 04 पद वि0/यां0 खण्ड, पिथौरागढ, 04 पद वि0/यां0 खण्ड, नैनीताल में 06 पद वि0/यां0 खण्ड, देहरादून में, 01 पद प्रत्येक वृत्त में, 01 पद अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, देहरादून के कार्यालय में और 01 पद सहायक अभियन्ता, विद्युत व 02 पद सहायक अभियन्ता, यांत्रिक के मुख्य अभियन्ता स्तर—। के कार्यालय में स्थापित होंगे।

9— कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पूर्व स्वीकृत 664 पदों में वृद्धि करते हुए अब 792 पद होंगे। इस प्रकार 128 पद नये सृजित किये जा रहे हैं। रा0मा0 खण्डों एवं नोडल सिविल खण्डों के लिये प्रति खण्ड 16 कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थान पर 14 तथा अन्य सिविल खण्डों हेतु पूर्ववत प्रति खण्ड 12 कनिष्ठ अभियन्ताओं का मानक निर्धारित किया जाता है।

10— कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यां0) के कुल सृजित 98 पदों, जिनमें 40 पद कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) तथा 58 कनिष्ठ अभियन्ता (यां0) के हैं, को यथावत रखा गया है। उपरोक्त में 06 कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) तथा 06 कनिष्ठ अभियन्ता (यां0) प्रति वि0/यां0 खण्ड रखे जायेंगे तथा शेष 520 कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यां0) आवश्यकतानुसार सिविल खण्डों में रखे जायेंगे।

11— कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) के पूर्व स्वीकृत 81 पदों को यथावत रखा गया है। प्रत्येक सिविल/राष्ट्रीय मार्ग खण्ड में 01 पद, प्रत्येक वृत्तीय कार्यालय में, प्रति जोनल कार्यालय 02 पद तथा मुख्य अभियन्ता स्तर—। के कार्यालय में 04 पद स्थापित होंगे।

12— मानचित्रकार के पूर्व सृजित 77 पद यथावत रहेंगे। प्रत्येक सिविल एवं रा0मा0 खण्ड में 01 पद प्रत्येक वृत्तीय कार्यालय में एक पद, प्रति जोनल कार्यालय 01 पद तथा मुख्य अभियन्ता स्तर—। के कार्यालय में 02 पद स्थापित रहेंगे।

13— विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता स्तर—। के कार्यालय में वेतनमान रूपये 12000—16500 में वरिष्ठ भू—वैज्ञानिक के 01 पद का सृजन किया जाता है।

14— भू—वैज्ञानिक के 02 पद वेतनमान रूपये 8000—13500 में पूर्व में सृजित हैं, जो यथावत रहेंगे। उत्तरप्रदेश शासन में भू—वैज्ञानिक के पद का वेतनमान 10000—15200 होने के दृष्टिगत भू—वैज्ञानिक के पूर्व में सृजित इन दो पदों का वेतनमान संशोधित करते हुए रूपये 10000—15200 किया जाता है।

15— सहायक भू—वैज्ञानिक के 04 पद वेतनमान रूपये 8000—13500 में सृजित किये जाते हैं, जो उत्तराखण्ड के विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र की सीमाओं से जुडे हुए क्षेत्रों में नियुक्त किये जायेंगे। ये पद प्रथमतः प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती से लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे।

16— विभाग में बढ़ते हुए विधिक वादों एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विधि अधिकारी के 03 पद वेतनमान रूपये 6500—10500 में सृजित किये जाते हैं, जिनमें 01 पद नैनीताल, 01 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा 01 पद शासन स्तर पर स्थापित रहेगा।

17— विधि सहायक वेतनमान रूपये 5000—8000 में पूर्व में सृजित 02 पदों में वृद्धि करते हुए 05 पद सृजित किये जाते हैं। इस प्रकार 03 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किये जाते हैं। इनमें 02 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून तथा 01—01 पर नैनीताल, अल्मोडा एवं पौड़ी में स्थापित रहेंगे।

18— सर्वेयर के वेतनमान रूपये 2750—4400 में 05 पद सृजित किये जाते हैं।

19— कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ के वेतनमान रूपये 4500—7000 में 04 पद सृजित किये जाते हैं।

20— प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान रूपये 3050—4500 में 04 पद सृजित किये जाते हैं।

21— कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान रूपये 2750—4400 में 03 पद पूर्व से सृजित हैं। उपरोक्त के स्थान पर 04 पद सृजित किये जाते हैं। इस प्रकार 01 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किया जाता है।

22— प्रयोगशाला अनुसेवक के वेतनमान रूपये 2550—3200 में 04 पद सृजित किये जाते हैं।

23— उपरोक्त समस्त अतिरिक्त सृजित तकनीकी पदों में सीधी भर्ती के पदों को अभियांत्रिकी विभागों से सेवा स्थानान्तारण द्वारा भरने का प्रयास किया जायेगा तथा पदोन्नति प्रचलित सेवा नियमावलियों के अनुसार ही की जायेगी।

24— 11 जुलाई, 2001 में शासनादेश संख्या—2054/पी0डब्लू0डी0/अभि0—2001—190 पी0डब्लू0डी0—2001 में विभाग द्वारा पूर्व गठित संरचना में इंगित पदों के अतिरिक्त सृजित पद एवं संख्या यथावत रहेंगे।

क0सं0	पद नाम	वेतनमान	पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1	मुख्य अभियन्ता स्तर—1	18400—22400	01	विभागाध्यक्ष
2	मुख्य अभियन्ता स्तर—2	16400—20000	02	अल्मोडा/पौड़ी
3	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12000—16500	12	09— सिविल वृत्त 01— रा0मा0 वृत्त 02— विभागाध्यक्ष
4	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)	12000—16500	02	02— वि0/यां0 वृत्तों के हेतु
5	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	10000—15200	71	58— सिविल खण्ड 05— रा0मा0 खण्ड 02— क्षेत्रीय मुख्यालय 06— विभागाध्यक्ष कार्यालय
6	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	10000—15200	05	04— वि0/यां0 खण्ड 01— विभागाध्यक्ष कार्यालय
7	सहायक अभियन्ता (सिविल)	8000—13500	297	5 प्रति रा0मा0 एवं नोडल खण्ड 18 x 5= 90 04 प्रति अन्य सिविल खण्ड 45 x4=180 01 प्रति सिविल वृत्त 10x1=10

				02 प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 2x2=4 विभागाध्यक्ष कार्यालय– 13
8	सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	8000–13500	26	04 प्रति वि0/यां0 खण्ड 4x4=16 01 प्रति वि0/यां0 वृत्त 02x1=02 02 अतिरिक्त कार्यभार के कारण नैनीताल एवं देहरादून में 02x2=04 विभागाध्यक्ष कार्यालय–03 निर्माण खण्ड देहरादून–01
9	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	5000–8000	792	14 प्रति रा0मा0 एवं नोडल खण्ड 18x14=252 12 प्रति अन्य सिविल खण्ड 45x12=540
10	कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यां0)	5000–8000	98	06 कनिष्ठ अभियन्ता–विद्युत प्रति वि0/यां0 खण्ड 4x6=24 06 कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक प्रति वि0/यां0 खण्ड 04x6=24 50 कनिष्ठ अभि0 वि0/यां0 सिविल खण्डों हेतु
11	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	5000–8000	81	01 प्रति खण्ड 1x63=63 01 प्रति वृत्त 01x10=10 02 प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 02x02=04 विभागाध्यक्ष कार्यालय–04
12	मानचित्रकार	4000–6000	77	01 प्रति सविल खण्ड 63x1=63 01 प्रति वृत्त

				10x1=10 01 प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 02x1=02 विभागाध्यक्ष कार्यालय–02
13	वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक	12000–16500	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय–01
14	भू–वैज्ञानिक	10000–15200	02	01–प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 02x1=02
15	सहायक भू–वैज्ञानिक	8000–13500	04	पर्वतीय जनपदों हेतु
16	विधि अधिकारी	6500–10500	03	01–विभागाध्यक्ष कार्यालय 01–नैनीताल उच्च न्यायालय हेतु 01– शासन स्तर पर
17	विधि सहायक	5000–8000	05	01– विभागाध्यक्ष कार्यालय 01–नैनीताल उच्च न्यायालय हेतु 01– पौड़ी/अल्मोड़ा हेतु 02x1=02
18	कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ	4500–7000	04	–
19	प्रयोगशाला सहायक	3050–4590	04	–
20	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	2750–4400	04	–
21	सर्वेयर	2750–4400	05	–
22	प्रयोगशाला अनुसेवक	2550–3200	04	–

भवदीय,
(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्याः–1253/III(1)/06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरदून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू पौड़ी/नैनीताल।
4- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता (ग0/कु0) क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
7- विता अनुभाग–2/लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–753 / III(1) / 10–190(पी0डब्लू0डी0) / 01 टी0सी0–IV

प्रेषकः–

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 2 जून 2010**

विषय :– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन ।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–1496 / III(1) / 07–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–3, दिनांक 12.6.07 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुये संशोधित किया गया था। कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–183 / XXX(2) / 2010, दिनांक 11.2.2010 के द्वारा राज्यधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत स्टाफिंग पैटर्न में संशोधित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.2.2010 के द्वारा जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल कर्मी हों, वहां पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो0नि0वि0 के पत्र संख्या–128 / 48 व्यख–07 / 2010 दिनांक 02.03.2010 एवं संख्या–610 / 58 व्यग–अधि0–03 / 09, दिनांक 08.04.2010 के क्रम में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–1496 / III(1) / 07–190 (पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–3, दिनांक 12.06.07 को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11.02.2010 के प्राविधान के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुये निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

मुख्य अभियन्ता विभागाध्यक्ष / जोनल कार्यालय संवर्गः–

क्र0 सं0	पदनाम	पूर्व स्वीकृत पद	संशोधित प्रतिशत	संशोधित प्रस्तावित	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	प्रशासनिक अधिकारी	13	20प्रतिशत	24	प्रशासनिक अधिकारी के 24 पदों के सापेक्ष 02 पद वरिष्ठ प्र0अ0 के जोनल कार्यालय हेतु रखे जायेंगे, शेष प्रशासनिक अधिकारी के पद निम्न प्रकार से रखे जायेंगेः– विभागाध्यक्ष कार्यालय–18 जोनल कार्यालय–3+3=6

2.	मुख्य सहायक	35	18 प्रतिशत	22	विभागाध्यक्ष कार्यालय–16 जोनल कार्यालय–3+3=6
3.	प्रवर सहायक	36	30प्रतिशत	36	विभागाध्यक्ष कार्यालय–26 जोनल कार्यालय–5+5=10
4.	कनिष्ठ सहायक	36	32प्रतिशत	39	विभागाध्यक्ष कार्यालय–27 जोनल कार्यालय–6+6=12
योग–	योग–	121	100 प्रतिशत	121	

लोक निर्माण विभाग के शासनादेश दिनांक 12.06.07 के द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का 01 पद वेतनमान–रू0 6500–10500 (दिनांक 01.01.06 से रू0 7450–11500 में उच्चीकृत) में विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु सृजित है। कॉलम–5 के सापेक्ष प्रसतावित 24 प्रशासनिक अधिकारी के पदो के सापेक्ष 02 पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद जोनल कार्यालय अल्मोड़ा/पौड़ी हेतु रखे जायेंगे।

वृत्तीय संवर्गः–

क0 सं0	**पदनाम**	**पूर्व स्वीकृत पद**	**संशोधित प्रतिशत**	**संशोधित प्रस्तावित**	**पदस्थापना**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	प्रशासनिक अधिकारी	17	20 प्रतिशत	34	प्रशासनिक अधिकारी के 34 पदों के सापेक्ष 12 पद वरिष्ठ प्र0अ0 के वृत्तीय कार्यालय हेतु रखे जायेंगे, शेष प्रशासनिक अधिकारी के पद निम्न प्रकार से रखे जायेंगेः– सिविल/एन0एच0 10 वृत्त हेतु =18+2=20 विद्युत/यांत्रिक वृत्त–2×2=4
2.	मुख्य सहायक	48	18 प्रतिशत	30	1/3/7/8/9/12 वृत्त–6×3=18 2/4/5/6/10/11 वृत्त–6×2=12
3.	प्रवर सहायक	50	30 प्रतिशत	50	1/3/7/9 वृत्त–4×5=20 2/4/6/8/10/12 वृत्त–6×4=24 5/11 वृत्त–2×3=06
4.	कनिष्ठ सहायक	53	32 प्रतिशत	54	1/3/7/8/9/12 वृत्त–6×5=30 2/4/5/6/10/11 वृत्त–6×4=24
	योग–	168	100 प्रतिशत	168	

लोक निर्माण विभाग के वृत्तीय कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान–रू0 6500–10500 में पद सृजित नहीं है। कॉलम–5 के सापेक्ष 34 प्रशासनिक अधिकारी के पदो के सापेक्ष 12 पद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद, 12 वृत्तीय कार्यालय हेतु रखें जायेंगे।

खण्डीय संवर्गः–

क्र0सं0	पदनाम	पूर्व स्वीकृत पद	संशोधित प्रतिशत	संशोधित प्रस्तावित	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1.	प्रशासनिक अधिकारी	97	20 प्रतिशत	194	प्रशासनिक अधिकारी के 194 पदों के सापेक्ष 70पद वरिष्ठ प्र0अ0 के खण्डीय कार्यालय हेतु रखे जायेंगे, शेष प्रशासनिक अधिकारी के पद निम्न प्रकार से रखे जायेंगेः– नोडल अधिकारी =13×2=26 रा0मा0 खण्ड–5×2=10 ए0डी0बी0–7 / पी0एम0जी0एस0वाई–03 वि0 / यां0–04 / थराली / अस्कोट–02=16×2=16 अन्य खण्ड––=36×2=72
2.	मुख्य सहायक	268	18 प्रतिशत	175	35 खण्ड×3=105 35 खण्ड×2=70
3.	प्रवर सहायक	348	30 प्रतिशत	291	नोडल खण्ड–11 (रूद्रप्रयाग / बगेश्वर को छोड़कर 11×5=55) अन्य खण्ड–×59×4 =236
4.	कनिष्ठ सहायक	258	32 प्रतिशत	311	31 खण्ड ×5=155 39 खण्ड×4=156
	योग–	971	100 प्रतिशत	971	

लोक निर्माण विभाग के खण्डीय कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 6500–10500 में पद सृजित नहीं है। कॉलम–5 के सापेक्ष 194 प्रशासनिक अधिकारी के पदों के सापेक्ष 70 पद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद, 70 खण्डीय कार्यालय हेतु रखें जायेंगे।

1. पुनर्गठन के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सृजित होने वाले पद किसी भी कार्यालय में एक से अधिक नहीं रखे जायेंगे।
2. उपरोक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त रूप से सृजित होने वाले पदों पर अनुमन्य लाभ दिनांक 1.1.2010 से नोशनल रूप से दिया जायेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त शासनादेश संख्या 1496 / ।।।(1) / 07–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–03 दिनांक 12.6.07 द्वारा स्वीकृत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय
(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव

संख्या 753 / III(1) / 10–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01 टी0सी0–05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता गढ़वाल / कुमाऊं।
8- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9- कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10- वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या 834 / ।।।(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 2001टी0सी0–02

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून दिनांक 6 अक्टूबर, 2006**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन।

महोदय,

योजनागत व्यय, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य मार्गो में वृद्धि, विभिन्न निर्माण के डिपोजिट कार्य तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के अतिरिक्त कार्यो के कारण लोक निर्माण विभाग के वर्तमान खण्डो के लिए प्रतिखण्ड कार्य बढा है। निर्माण कार्यो की इस वृद्धि के अनुरुप विचारोपरान्त राज्य के गठन के उपरान्त शासनादेश सं0 2054 / पी0डब्ल्यू0डी0 / अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0–2001 दिनांक 11.07.2001 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुए प्रथम चरण में तकनीकी पदो के ढांचे का पुनर्गठन शासनादेश संख्या 1253 / ।।।(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 2001 दिनांक 12.07.06 द्वारा किया जा चुका है। द्वितीय चरण में गैर तकनीकी तथा फील्ड स्तरीय पदों के ढांचे का पुनः पुनर्गठन निम्न तालिका में वर्णित विवरणानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

तालिका के स्तम्भ 02 पर अंकित पदनाम के सम्मुख स्तम्भ 03 पर वेतनमान, स्तम्भ 04 पर स्वीकृत पदों की संख्या तथा स्तम्भ 05 पर पद स्थापन किया जाता है।

क्र0सं0	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**पद स्थापना**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	01	01–विभागाध्यक्ष कार्यालय
2.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	5500–9000	24	03 विभागाध्यक्ष कार्यालय 02 क्षेत्रीय मुख्यालय 06 वृत्त कार्यालय 13 नोडल खण्डों हेतु

3.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	5000–8000	67	07 विभागाध्यक्ष 06 वृत्त कार्यालय 54 खण्डीय कार्यालय
4.	मुख्य सहायक	4500–7000	351	27 विभागाध्यक्ष कार्या0 08 (2×4) जोनल मुख्यालय 48 (12×4) सिविल / वि0 / यॉ0 वृत्त 52(13×4) नोडल खण्डों हेतु 216 (54×4) खण्डीय कार्यालयों हेतु
5.	प्रवर सहायक	4000–6000	431	27 विभागाध्यक्ष 08 (2×4) जोनल कार्यालय 48 (12×4) सिविल / वि0 / या0 वृत्त 78 (13×6) नोडल खण्डों हेतु 270 (54×5) अन्य खण्ड
6.	कनिष्ठ सहायक / सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	386	26 विभागाध्यक्ष कार्यालय 12 (2×6) जोनल मुख्यालय 60 (12×5) सिविल / वि0 / यॉ वृत्त 288 खण्डीय कार्यालय
7.	वैयक्तिक सहायक (1)	6500–10500	04	02 विभागाध्यक्ष कार्यालय 02 क्षेत्रीय कार्यालय
	वैयक्तिक सहायक (2)	5500–9000	16	04 विभागाध्यक्ष कार्यालय 12 अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय
8.	आशुलिपिक (1)	5000–8000	28	06 विभागाध्यक्ष कार्यालय 04 क्षेत्रीय कार्यालय 18 नोडल खण्ड एवं रा0मा0 खण्ड
	आशुलिपिक (2)	4000–6000	49	अधिशासी अभि0 कार्यालय
9.	सहायक लेखाधिकारी	7450–11500	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय
10.	लेखाकार	5500–9000	03	विभागाध्यक्ष कार्यालय
11.	सहायक लेखाकार	4500–7000	05	03 विभा0 कार्या0 02 जोनल मुख्यालय

12. (I)	जीप / कार चालक ग्रेड– IV	3050–4590	39	–
(II)	ग्रेड– III	4000–6000	34	–
(III)	ग्रेड– II	4500–7000	33	–
(IV)	ग्रेड– I	5000–8000	06	–
13.	अमीन	2750–4400	122	122 (61×2) सिविल खण्डों हेतु।
14.	दफ्तरी	2610–3540	85	04 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्या0 12 वृत्तीय कार्या0 67 खण्डीय कार्या0
15.	अर्दली	2610–3540	06	04 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्या0
16.	डाकरनर	2550–3200	10	06 विभागाध्यक्ष 04 (2×2) जोनल कार्या0
17.	अनुसेवक	2550–3200	286	27 विभागाध्यक्ष 10 (2×5) जोनल कार्या0 48 (12×4) वृत्तीय कार्यालय 201 (67×3) खण्डीय कार्यालय
18.	चौकीदार	2550–3200	83	02 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्या0 12 वृत्तीय कार्या0 67 खण्डीय कार्या0
19.	डोजर / जे0 सी0 बी0 आपरेटर	3050–4590	80	–
20. (I)	ट्रक / टिपर / टैंकर / ट्रैक्टर / रोलर चालक ग्रेड– IV	3050–4590	95	–
(II)	ग्रेड– III	4000–6000	82	–
(III)	ग्रेड– II	4500–7000	81	–

(IV)	ग्रेड– I	5000–8000	14	–
21.	क्लीनर	2550–3200	244	–
22.	कम्प्रेसर / मिक्सर / सी0 / सी0 मिक्चर / स्टोन क्रैशर आपरेटर	2610–3540	58	मृत संवर्ग
23.	मैकेनिक	2750–4400	32	मृत संवर्ग
24.	सहायक मैकेनिक	2610–3540	07	मृत संवर्ग
25.	यूनिट मैनेजर	3050–4590	01	मृत संवर्ग
26.	रोलर फोरमैन	3050–4590	10	मृत संवर्ग
27.	फीटर	2610–3540	03	मृत संवर्ग
28.	इलैक्ट्रीशियन	2750–4400	46	–
29.	हैल्पर	2550–3200	37	–
30.	मेसन	2610–3540	23	–
31. (I)	कारपेंटर	2550–3200	21	–
31. (II)	पलम्बर	2550–3200	21	–
32.	स्वीपर	2550–3200	20	–
33.	माली	2550–3200	45	मृत संवर्ग
34.	कुक	2550–3200	17	निरीक्षण भवन तथा सर्किट हाऊस हेतु
35.	वर्क एजेन्ट / मिस्त्री	2610–3540	792	प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता के साथ–01
36.	मेट	2610–3540	944	–
37.	बेलदार	2550–3200	3960	–
38.	चौकीदार	2550–3200	367	खण्ड स्तर पर स्टोर के लिए चिन्हित है। (मृत संवर्ग)
39.	वर्क सुपरवाईजर	3050–4590	31	मृत संवर्ग

40. (I)	वैल्डर	2550–3200	02	मृत संवर्ग
(II)	बेयरा	2550–3200	02	मृत संवर्ग
(III)	गेट कीपर	2550–3200	01	मृत संवर्ग
(IV)	स्टोर मुंशी	2610–3540	03	मृत संवर्ग
(V)	फोटो अभिकर्ता	2610–3540	01	मृत संवर्ग
(VI)	लोहार	2550–3200	02	मृत संवर्ग

4. क्रमांक 22 पर कम्प्रेसर आपरेटर, क्रमांक 23 पर मैकेनिक, क्रमांक 24 पर सहायक मैकेनिक, क्रमांक 25 पर यूनिट मैनेजर, क्रमांक 26 पर रोलर फोरमेन, क्रमांक 27 पर फिटर, क्रमांक 33 पर माली, क्रमांक 38 डिवीजन के अन्तर्गत स्थापित स्टोर के चौकीदार के पद, क्रमांक 39 पर वर्क सुपरवाईजर तथा क्रमांक 40 पर बैल्डर/बैरा/गेटकीपर/लोहार/स्टोरमुंशी/फोटोअभिकर्ता के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किया जाता है तथा इसके विरुद्ध जो पद सृजित किये जा रहे है, वह अधिसंख्य पद होंगे।
5. शासनादेश संख्या 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0–2001 दिनांक 11 जुलाई, 2001 में विभाग द्वारा पूर्व गठित संरचना में इंगित वित नियंत्रक तथा खण्डीय लेखाकार के पद यथावत रहेंगे।

उपरोक्त शासनादेश संख्या 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0–2001 दिनांक 11 जुलाई, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या 834/III(1)/06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौडी/नैनीताल।
4- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता गढवाल/कुमायूँ, लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोडा।
7- वित अनुभाग–2/लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सयुक्त सचिव।

संख्या 1496 ।।।(1)/07–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 टी0सी0–3

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून दिनांक 12 जून, 2007**

विषयः– लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढ़ाचे का पुनर्गठन।

महोदय,

राज्य गठन के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ाचे का गठन शासनादेश संख्या 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0–2001 दिनांक 11.07.2001 द्वारा किया गया । विभाग के कार्य दायित्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण शासनादेश सं0 1253/।।।(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 दिनांक 12.07.2006 द्वारा तकनीकी पदों के ढांचे एवं शासनादेश सं0 834/।।।(1)/06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001टी0सी0–2 दिनांक 06.10.2006 द्वारा गैर तकनीकी एवं फील्ड स्तर के पदो के ढांचे का पुनर्गठन किया जा चुका है, किन्तु गैर तकनीकी एवं फील्ड स्तर के पुनर्गठन के संबंध में जारी शासनादेश सं0 834/।।।(1)/06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001टी0सी0–2 दिनांक 06.10.2006 में स्वीकृत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों पर विचारोपरान्त संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में शासनादेश संख्या 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0–2001 दिनांक 11.07.2001, शासनादेश संख्या 1253/।।।(1)06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 दिनांक 12.07.2006 एवं शासनादेश संख्या 834/।।।(1)/06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001टी0सी0–2 दिनांक 06.10.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पूर्व में सृजित पदों को अतिक्रमित करते हुए संशोधित पदों के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0स0	पदनाम	वेतनमान	शासनादेश संख्या 834/III–1/06–190 पी.डब्ल्यू.डी./2001 टी.सी.2 दि0 06.10.06 द्वारा स्वीकृत पद	पुनर्गठन के पश्चात संशोधित स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापना
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	01	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय
2.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	5500–9000	05	06	मुख्यालय/जोनल कार्यालय
3.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	5000–8000	07	07	मुख्यालय/जोनल कार्यालय
4.	मुख्य सहायक	4500–7000	35	35	मुख्यालय/जोनल कार्यालय
5.	प्रवर सहायक	4000–6000	35	36	मुख्यालय/जोनल कार्यालय
6.	कनिष्ठ सहयक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	38	36	मुख्यालय/जोनल कार्यालय

क्र0स0	पदनाम	वेतनमान	शासनादेश संख्या 834 दिनांक 06.10.06 द्वारा स्वीकृत पद	पुनर्गठन के पश्चात संशोधित स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापना
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	–	–	–
2.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	5500–9000	06	08	वृत्तीय कार्यालय
3.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	5000–8000	06	09	वृत्तीय कार्यालय
4.	मुख्य सहायक	4500–7000	48	48	वृत्तीय कार्यालय
5.	प्रवर सहायक	4000–6000	48	50	वृत्तीय कार्यालय
6.	कनिष्ठ सहयक/सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	3050–4590	60	53	वृत्तीय कार्यालय

क्र0स0	पदनाम	वेतनमान	शासनादेश संख्या 834 दिनांक 06.10.06 द्वारा स्वीकृत पद	पुनर्गठन के पश्चात संशोधित स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापना
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	–	–	–
2.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	5500–9000	13	40	खण्डीय कार्यालय
3.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	5000–8000	54	57	खण्डीय कार्यालय
4.	मुख्य सहायक	4500–7000	268	268	खण्डीय कार्यालय
5.	प्रवर सहायक	4000–6000	348	348	खण्डीय कार्यालय
6.	कनिष्ठ सहयक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	288	258	खण्डीय कार्यालय

1- उपरोक्तानुसार स्वीकृत किए जा रहे संशोधित पदों के संबंध में मुख्यालय/जोनलवार/वृत्तवार/खण्डवार आवंटन का प्रस्ताव तत्काल तैयार कर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

2- उपरोक्त शासनादेश संख्या 834/।।।(1)/06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001टी0सी0–2 दिनांक 06.10.2006 द्वारा स्वीकृत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा, विभाग के अन्य पद पूर्व शासनादेशों के अनुरुप यथावत रहेंगे।

भवदीय,
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या /।।।(1)/07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौडी/नैनीताल।
4- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6- मुख्य अभियन्ता (गढवाल/कुमायूँ)क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोडा।
7- वित अनुभाग–2/लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–07 शासनादेश सं0–299/XXVII/(7)50(16)/2016 दिनांक–30.12.2016 द्वारा राजकीय कमचारियों को दिनांक–01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के आधार पर कर्मचारी के वेतनमान निम्नवत् है–

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान+ग्रेड वेतन	पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1	प्रमुख अभियन्ता	182200–224100 लेवल 16	01	विभागाध्यक्ष
1	मुख्य अभियन्ता स्तर–1 मुख्य अभियन्ता स्तर–2	144200–218200 लेवल 15 131100–216600 लेवल 13क	03 07	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु 04 मुख्य अभियन्ता रा0मा0 कार्यालय हेतु 01 प्रतिनियुक्ति हेतु 02
2	वित्त नियन्त्रक	131100–216600 लेवल 13क	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु
4	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	123100–215900 लेवल 13	21	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 06 वृत्तीय कार्यालय हेतु 12 प्रतिनियुक्ति हेतु 03
5	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)	123100–215900 लेवल 13	02	वि0/यां0 वृत्तों के हेतु
6	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	67700–208700 लेवल 11	93	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 09 डिजायन सैल हेतु 01 क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड हेतु 01 सिविल खण्ड हेतु 56 ए0डी0बी0 खण्ड हेतु 10 रा0मा0 खण्ड हेतु 09 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता हेतु 07
7	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	67700–208700 लेवल 11	06	1. वि0/यां0 खण्ड 06
8	सहायक अभियन्ता (सिविल)	56100–177500 लेवल 10	365	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 09 डिजायन सैल हेतु 04 क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड हेतु 04 वृत्तीय कार्यालय हेतु 17 सिविल खण्ड हेतु 244 ए0डी0बी0 खण्ड हेतु 22 रा0मा0 खण्ड हेतु 41 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता हेतु 24

9	सहायक अभियन्ता (वि0 / यां0)	56100–177500 लेवल 10	28	वि0 / यां0 खण्ड हेतु 26 वि0 / यां0 वृत्त हेतु 01–01
10	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	44900–142400 लेवल 07	888	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 07 आई0टी0 / डिजायन सैल हेतु 04 क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड हेतु 04 सिविल खण्ड हेतु 731 ए0डी0बी0 खण्ड हेतु 22 रा0मा0 खण्ड हेतु 120
11	कनिष्ठ अभियन्ता (वि0 / यां0)	44900–142400 लेवल 07	105	सिविल खण्ड हेतु 45 (विद्युत) सिविल खण्ड हेतु 60 (यांत्रिक)
12	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	44900–142400 लेवल 07	112	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 04 आई0टी0 / डिजायन सैल हेतु 01 क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड हेतु 01 मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु 17 वृत्तीय कार्यालय हेतु 24 सिविल खण्ड हेतु 56 रा0मा0 खण्ड हेतु 09
13	मानचित्रकार	35400–112400 लेवल 06	107	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 05 आई0टी0 / डिजायन सैल हेतु 01 क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड हेतु 01 मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु 18 वृत्तीय कार्यालय हेतु 17 सिविल खण्ड हेतु 56 रा0मा0 खण्ड हेतु 09
14	वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक	78800–209200 लेवल 12	01	–
15	वरिष्ठ वास्तुविद	78800–209200 लेवल 12	01	–
15	भू–वैज्ञानिक	67700–208700 लेवल 11	02	–
	उपनिदेशक अनवेषण	67700–208700 लेवल 11	01	–
	वास्तुविद	67700–208700 लेवल 11	01	–
16	सहायक भू–वैज्ञानिक	56100–177500 लेवल 10	06	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 01 पौड़ी 02 अल्मोड़ा 02 हल्द्वानी 01
	सहायक वास्तुविद	56100–177500 लेवल 10	02	–

	सहायक शोध अधिकारी	56100–177500 लेवल 10	02	–
17	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500 लेवल 10	81	05 विभागाध्यक्ष कार्यालय 05 क्षेत्रीय कार्यालय 10 वृत्त कार्यालय 61 खण्डीय कार्यालय
18	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100 लेवल 08	109	08 विभागाध्यक्ष कार्यालय 05 क्षेत्रीय कार्यालय 14 वृत्त कार्यालय 82 खण्डीय कार्यालय
19	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400 लेवल 07	109	08 विभागाध्यक्ष कार्यालय 05 क्षेत्रीय कार्यालय 14 वृत्त कार्यालय 82 खण्डीय कार्यालय
21	प्रधान सहायक	35400–112400 लेवल 06	243	17 विभागाध्यक्ष कार्यालय 12 क्षेत्रीय कार्यालय 30 वृत्त कार्यालय 184 खण्डीय कार्यालय
22	विधि सहायक	34500–112400 लेवल 06	08	05 विभागाध्यक्ष कार्यालय 03 क्षेत्रीय कार्यालय
23	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल 05	377	32 विभागाध्यक्ष कार्यालय 13 क्षेत्रीय कार्यालय 47 वृत्त कार्यालय 285 खण्डीय कार्यालय
24	कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एंट्री आपरेटर	21700–69100 लेवल 03	432	35 विभागाध्यक्ष कार्यालय 17 क्षेत्रीय कार्यालय 54 वृत्त कार्यालय 326 खण्डीय कार्यालय
25	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	56100–177500 लेवल 10	01	02 विभागाध्यक्ष कार्यालय
	वैयक्तिक अधिकारी	44900–142400 लेवल 07	17	02 विभागाध्यक्ष कार्यालय 02 वृत्त कार्यालय 13 खण्डीय कार्यालय

26	वैयक्तिक सहायक	29200–92300 लेवल 05	50	06 विभागाध्यक्ष कार्यालय 05 वृत्त कार्यालय 39 खण्डीय कार्यालय
27	सहायक लेखाधिकारी	4700–151100 लेवल 08	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय
28	लेखाकार	35400–112400 लेवल 06	05	विभागाध्यक्ष कार्यालय
29	सहायक लेखाकार	21700–69100 लेवल 03	09	05 विभागाध्यक्ष कार्यालय 04 क्षेत्रीय कार्यालय
30-	<u>जीप / कार चालक</u>			
(I)	ग्रेड– IV	21700–69100 लेवल 03	39	–
(II)	ग्रेड– III	25500–81100 लेवल 04	34	–
(III)	ग्रेड– II	29200–92300 लेवल 05	33	–
(IV)	ग्रेड– I	35400–112400 लेवल 06	06	–
31.	अमीन	25500–81100 लेवल 04	122	145
32.	दफ्तरी	19900–63200 लेवल 02	85	04 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्या0 12 वृत्तीय कार्या0 67 खण्डीय कार्या0
33.	अर्दली	19900–63200 लेवल 02	06	04 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्या0
34.	डाकरनर	18000–56600 लेवल 01	10	06 विभागाध्यक्ष 04 (2×2) जोनल कार्या0
35.	अनुसेवक	18000–56600 लेवल 01	286	27 विभागाध्यक्ष 10 (2×5) जोनल कार्या0 48 (12×4) वृत्तीय कार्यालय 201 (67×3) खण्डीय कार्यालय
36.	चौकीदार	18000–56600 लेवल 01	83	02 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्या0 12 वृत्तीय कार्या0 67 खण्डीय कार्या0

37.	डोजर / जे0 सी0 बी0 आपरेटर	19900–63200 लेवल 02	56	–
38.	ट्रक / टिपर / टैंकर / ट्रैक्टर / रोलर चालक			
(I)	ग्रेड– IV	21700–69100 लेवल 03	95	–
(II)	ग्रेड– III	25500–81100 लेवल 04	82	–
(III)	ग्रेड– II	29200–92300 लेवल 05	81	–
(IV)	ग्रेड– I	35400–112400 लेवल 06	14	–
39.	क्लीनर	18000–56900 लेवल 01	244	–
40.	कम्प्रेसर / मिक्सर / सी0 / सी0 मिक्चर / स्टोन कैशर आपरेटर	18000–56900 लेवल 01	58	मृत संवर्ग
41.	मैकेनिक	19900–63200 लेवल 02	32	मृत संवर्ग
42	सहायक मैकेनिक	19900–63200 लेवल 02	07	मृत संवर्ग
43	यूनिट मैनेजर	19900–63200 लेवल 02	01	मृत संवर्ग
44	रोलर फोरमैन	19900–63200 लेवल 02	10	मृत संवर्ग
45	फीटर	18000–56900 लेवल 01	03	मृत संवर्ग
46	इलैक्ट्रीशियन	25500–81100 लेवल 04	46	–
47	हैल्पर	18000–56900 लेवल 01	37	–
48	मेसन	18000–56900 लेवल 01	23	–
49 (I)	कारपेंटर	18000–56900 लेवल 01	21	– –

50 (II)	पलम्बर	18000–56900 लेवल 01	21	
51	स्वीपर	18000–56600 लेवल 01	20	–
52	माली	18000–56900 लेवल 01	45	मृत संवर्ग
53	कुक	18000–56900 लेवल 01	17	निरीक्षण भवन तथा सर्किट हाऊस हेतु
54	वर्क एजेन्ट/मिस्त्री	25500–81100 लेवल 04	792	प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता के साथ–01
55	मेट	21700–69100 लेवल 03	944	–
56	बेलदार	18000–56900 लेवल 01	3960	–
57	चौकीदार	18000–56900 लेवल 01	367	खण्ड स्तर पर स्टोर के लिए चिन्हित है। (मृत संवर्ग)
58	वर्क सुपरवाईजर	25500–81100 लेवल 04	31	मृत संवर्ग
59 (I)	वैल्डर	18000–56900 लेवल 01	02	मृत संवर्ग
(II)	बेयरा	18000–56900 लेवल 01	02	मृत संवर्ग
(III)	गेट कीपर	18000–56900 लेवल 01	01	मृत संवर्ग
(IV)	स्टोर मुंशी	18000–56900 लेवल 01	03	मृत संवर्ग
(V)	फोटो अभिकर्ता	18000–56900 लेवल 01	01	मृत संवर्ग
(VI)	लोहार	18000–56900 लेवल 01	02	मृत संवर्ग